हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जुलाई, 2016

संख्या : 1/13/2016–1पी आर(एफ.डी)/2016.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की शर्तों को विनियमित करने सम्बन्धी निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

अध्याय–I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम दिनांक 19 जुलाई, 2016 से लागू समझे जायेंगे ।

लागूकरण का विस्तार।

2. ये नियम, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सभी सरकारी कर्मचारियों को लागू होंगे, किन्तु निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे–

(i) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य;

(ii) किसी सीमित अवधि के लिए केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी।

टिप्पण. 1– अध्यक्ष, विधान सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन सहमत हो गए हैं कि जब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (2) के अधीन राज्य विधानमण्डल द्वारा कोई विधि नहीं बनाई जाती है अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन अध्यक्ष, विधान सभा के परामर्श से, राज्यपाल द्वारा नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक ये नियम तथा इनमें संशोधन, यदि कोई हों, अध्यक्ष की पूर्व सहमति के बाद, हरियाणा विधान सभा के सचिवीय अमले को लागू होंगे।

टिप्पण. 2– अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दशा में समय–समय पर यथा संशोधित इन नियमों के लागूकरण से सहमत हो गए हैं।

टिप्पण. 3– यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है कि ये नियम किसी व्यक्ति को लागू होते हैं या नहीं, तो निर्णय वित्त विभाग द्वारा लिया जाएगा।

इन नियमों से असंगत विशेष उपबन्ध, यदि कोई हो।

3. जब सक्षम प्राधिकारी की राय में, इन नियमों से असंगत विशेष प्रावधान किसी विशेष पद या सेवा की किसी शर्त के सन्दर्भ में अपेक्षित हों, तो वह प्राधिकारी, इन नियमों में दी गई किसी बात से अन्यथा होते हुए भी, तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 310 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, किसी मामले, जिसके संबंध में उस प्राधिकारी की राय में विशेष प्रावधान किए जाने अपेक्षित हैं, हेतु ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें उपबन्धित कर सकता है:

परन्तु जहाँ किसी मामले के संबंध में नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों का विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, तो इन नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

विधि के अधीन अधिकार तथा विशेषाधिकार।

4. जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, इन नियमों में अथवा किसी व्यक्ति द्वारा नियुक्ति के समय स्वीकार की गई प्रस्तावित निबन्धनों तथा शर्तों में इन नियमों की कोई भी बात किसी व्यक्ति को किसी अधिकार अथवा विशेषाधिकार, जिसके लिए वह किसी विधि द्वारा या के अधीन हकदार है, से वंचित करने के लिए लागू नहीं होगी।

सरकारी कर्मचारी के दावे का विनियमन।

5. किन्ही नियमों में, जब तक अन्यथा से उपबन्धित न हो, सरकारी कर्मचारी के दावे की हकदारी, दावे के अर्जन के समय पर लागू नियमों द्वारा विनियमित की जाएगी।

निर्वचन, संशोधन तथा छूट करने की शक्ति।

6. इन नियमों के निर्वचन, परिवर्तन, संशोधन, छूट तथा संदेह दूर करने की शक्ति, वित्त विभाग में निहित होगी।

टिप्पण 1.– इन नियमों के निर्वचन तथा परिवर्तन के संबंध में संसूचनाएं सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को सम्बोधित की जाएंगी।

टिप्पण 2.– जहाँ वित्त विभाग की सन्तुष्टि हो गई है कि सरकारी कर्मचारियों या ऐसे सरकारी कर्मचारियों के किसी वर्ग की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले इन नियमों का कोई लागूकरण किसी विशेष मामले में असम्यक् कष्टकारक है, तो यह ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्ययीन, जैसा यह न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण रीति में मामले के संबंध में कार्रवाई करना आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से आदेश द्वारा अभिमुक्त कर सकता है या छूट दे सकता है।

नियमों का निरसन।

7. (1) पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द–I, भाग–I, में वर्णित नियम इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं।

(2) इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अध्याय–II

परिभाषाएं

8. (क) जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; परिभाषाएं।

(1) **"किसी पद का सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान"** से अभिप्राय है, विहित सेवाकाल और/अथवा कतिपय शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन किसी सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय उस पद के वृत्तिमूलक वेतनमान से उच्चतर वेतनमान। जहाँ उस पद का एक से अधिक वेतनमान है, तो प्रथम वृत्तिमूलक वेतनमान होगा और आगामी तथा पश्चात्वर्ती सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान होगा;

(2) **"अतिरिक्त वेतनवृद्धि"** से अभिप्राय है, सक्षम अधिकारी द्वारा कर्मचारी को उसकी सामान्य वेतनवृद्धि से अतिरिक्त प्रदान की गई वेतनवृद्धि;

(3) **"अग्रिम वेतनवृद्धि"** से अभिप्राय है, भविष्य वेतनवृद्धि(यों) में समाविष्ट शामिल की जाने वाली किसी सरकारी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई अग्रिम वेतनवृद्धि(यां);

(4) किसी सरकारी कर्मचारी के **'मूल वेतन'** से अभिप्राय है.–

(i) वेतनमान में वेतन; तथा

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से मूल वेतन के रूप में वर्गीकृत किये गए कोई अन्य परिलाभ ;

टिप्पण.– इसमें कोई अन्य किस्म का वेतन जैसे विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, उसकी व्यक्तिगत योग्यता के बदले में या अलग घटक के रूप में अन्यथा प्रदान किया गया वेतन शामिल नहीं है।

(5) **"मंहगाई वेतन"** से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंहगाई वेतन के रूप में प्रतिवर्तित मंहगाई भत्ते का कोई भाग, जो विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु मूल वेतन के भाग के रूप में समझा जाता है;

(6) **"किसी पद का प्रवेश स्तर वेतन"** से अभिप्राय है, सीधी भर्ती या अन्यथा द्वारा नियुक्ति के समय किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद के वृत्तिमूलक वेतनमान का न्यूनतम या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित के बराबर वेतन;

(7) **"किसी पद का वृत्तिमूलक वेतनमान"** से अभिप्राय है, किसी पद के लिए विहित वेतनमान तथा इसमें कोई अन्य वेतनमान शामिल नहीं है जो विहित नियमित संतोषजनक सेवा के बाद तथा या कतिपय अन्य शर्तों या व्यक्तिगत उपाय के रूप में प्रदान किया गया हो।

(8) **"वेतनवृद्धि"** से अभिप्राय है, वेतनमान में वेतन में किसी वृद्धि के बिना विहित अर्हक सेवा के पूरा होने के अध्यधीन प्रत्येक वर्ष विहित तिथि को अनुज्ञेय विहित दर पर वेतनमान में वेतन में बढ़ोतरी तथा यह सामान्य प्रक्रिया में अनुज्ञेय रहेगी, जब तक इसे रोका नहीं जाता है;

(9) **"मास्टर वेतनमान"** से अभिप्राय है, सभी न्यायिक अधिकारियों को गतिरोध के बाद द्विवार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करने के प्रयोजन के लिए लागू निरन्तर वेतनमान। मास्टर वेतनमान में वेतनवृद्धि की दर न्यायिक अधिकारियों के वेतन के स्तर पर निर्भर करती है।

(10) **"ठीक नीचे नियम"** से अभिप्राय है, पैतृक विभाग के भीतर या बाहर संवर्ग के बाहर कार्यरत किसी सरकारी कर्मचारी के हित के संरक्षण में प्रावधान, ताकि उसे स्थानापन्न पदोन्नति के लाभ से वंचित नहीं किया जा सके जो उसने अन्यथा उपभोग कर ली होती यदि वह संवर्ग पद पर होता;

(11) **"वेतनमान में वेतन"** से अभिप्राय है, किसी वेतनमान में सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय वेतन की राशि। इसमें कोई अन्य परिलाभ शामिल नहीं हैं;

(12) **"वेतन"** से अभिप्राय है–

(i) मूल वेतन

(ii) विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, विदेशी वेतन; तथा

(iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा वेतन के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत कोई अन्य परिलाभ।

(13) **"वैयक्तिक वेतन"** से अभिप्राय है, किसी कर्मचारी को प्रदान किया गया अतिरिक्त वेतन–

(क) उसे उसके अधिष्ठायी मूल वेतन की हानि से बचाने हेतु; अथवा

(ख) असाधारण परिस्थितियों में अन्य वैयक्तिक विचारणों पर;

(14) **"प्रकल्पित वेतन या प्रकल्पित मूल वेतन"** से अभिप्राय है, वेतन या मूल वेतन, जैसे भी स्थिति है, जो सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय होता यदि वह फीडर पद पर या पद जिसका वह धारणाधिकार धारण करता है, पर कार्यरत रहा होता;

(15) **''प्रोफार्मा पदोन्नति''** से अभिप्राय है, ठीक नीचे नियम के अधीन की गई किसी सरकारी कर्मचारी की स्थानापन्न पदोन्नति, जो पैतृक या किसी अन्य विभाग/संगठन में संवर्ग से बाहर कार्य कर रहा है;

(16) ''वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए **''अर्हक सेवा''** से अभिप्राय है;–

(i) डयूटी के रूप में समझी गई सेवा की अवधि;

(ii) असाधारण अवकाश को छोड़कर सभी अवकाशों की अवधि; तथा

(iii) चिकित्सा प्रमाण–पत्र या हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 के अध्याय–XI के अधीन अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि;

टिप्पण.– किसी दशा में, जिसमें वित्त विभाग संतुष्ट हो कि असाधारण अवकाश सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर होने के किसी कारण हेतु लिया गया था, तो ऐसे अवकाश की अवधि अर्हक सेवा के रूप में मानी जा सकती है।

(17) **''न्यायिक अधिकारियों के सलेक्शन ग्रेड''** से अभिप्राय है, सुसंगत नियमों में प्रावधान के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को अनुज्ञेय प्रवेश वेतनमान से उच्चतर वेतनमान;

(18) **''विशेष वेतन''** से अभिप्राय है,–

(क) परिश्रमी स्वरूप कार्यों के फलस्वरूप प्रदान किया गया वेतन;

(ख) विशिष्ट अतिरिक्त कार्य या जिम्मेवारी के फलस्वरूप प्रदान किया वेतन; या

(ग) उच्चतर वेतनमान के बदले में प्रदान किया वेतन;

(19) **"अधिष्ठाई वेतन" या "अधिष्ठाई मूल वेतन"** से अभिप्राय है, स्थायी सरकारी कर्मचारी का वेतन या मूल वेतन, जैसी भी स्थिति हो, जिसके लिए, वह पद धारण करते समय, उस को लागू नियमों के अधीन हकदार है।

टिप्पण.– अधिष्ठाई वेतन में विदेशी वेतन या विशेष वेतन या परिश्रमी स्वरूप की ड्यूटी का कोई अन्य वेतन शामिल नहीं है;

(20) **"न्यायिक अधिकारियों के सुपर टाइम स्केल"** से अभिप्राय है, सलेक्शन ग्रेड से उच्चतर वेतनमान जो सुसंगत नियमों में प्रावधान के अनुसार उन्हें प्रदान किया गया है;

(ख) इस अध्याय में अपरिभाषित परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में परिभाषित किए गए शब्दों का अर्थ इन नियमों के लिए वही होगा।

अध्याय–III

प्रथम या पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर वेतन नियतन

प्रवेश स्तर वेतन नियतन।

9. किसी पद पर प्रथम नियुक्ति पर, प्रवेश स्तर वेतन निम्नानुसार नियत किया जाएगाः–

(क) प्रवेश स्तर वेतन यदि वेतनमान प्रथम जनवरी, 2006 से बढ़ाया नहीं गया–

किसी पद का प्रवेश स्तर वेतन, जिसका वेतनमान प्रथम जनवरी, 2006 से बढ़ाया नहीं गया है, निम्नानुसार नियत किया जाएगाः–

(i) 31 दिसम्बर, 2005 को पद के वृत्तिमूलक वेतनमान की न्यूनतम राशि के बराबर गुणक 1.86 का गुणज। एक रुपया या इससे अधिक का कोई अंश 10 के अगले गुणज का पूर्णांक होगी; या

(ii) वृत्तिमूलक वेतनमान का न्यूनतम;

जो भी उच्चतर हैं। 31 दिसम्बर, 2005 को पद के वृत्तिमूलक वेतनमान के पुनरीक्षित वेतनमान में समरूपी वृतिमूलक वेतनमान के अतिरिक्त ग्रेड वेतन भी अनुज्ञेय होगा।

(ख) प्रवेश स्तर वेतन यदि वेतनमान प्रथम जनवरी, 2006 से या के बाद बढ़ाया गया/रूपान्तरित किया गया.–

(i) जहां किसी पद का वेतनमान प्रथम जनवरी, 2006 से या उसके बाद बढ़ाया गया है/रूपान्तरित किया गया है तथा ऐसी बढ़ोतरी/रूपान्तरण में वेतन बैंड का कोई परिवर्तन शामिल नहीं है, उस पद का प्रवेश स्तर वेतन उपरोक्त (क) में अधिकथित उपबंध के अनुसार नियत किया जाएगा;

(ii) जहां पद का वेतनमान प्रथम जनवरी, 2006 से बढ़ाया गया है तथा ऐसी बढ़ोतरी में वेतन बैंड का परिवर्तन शामिल है, प्रवेश स्तर वेतन प्रथम जनवरी, 2006 को बढ़ाए गए वेतनमान में समरूपी वेतन बैंड के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा;

(iii) जहां किसी पद का वेतन ढांचा प्रथम जनवरी, 2006 के बाद किसी तिथि से रूपान्तरित किया गया है तथा ऐसे रूपान्तरण में वेतन बैंड का परिवर्तन शामिल हैं, प्रवेश स्तर वेतन रूपान्तरित वेतन बैंड के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रथम जनवरी, 2006 को पद के बढाए गए वेतनमान में समरूपी वृतिमूलक ग्रेड वेतन या रूपान्तरित ग्रेड वेतन, जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक मामले में भी अनुज्ञेय होगा।

वृतिमूलक/सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान के समान या उच्चतर किसी पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर वेतन नियतन।

10. हरियाणा सरकार के उसी या किसी अन्य विभाग में वृतिमूलक या सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान से उच्चतर या समान वेतनमान के किसी पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर जहां उसके लिए आवेदन –

(i) उचित प्रणाली द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो वेतन नियम 9 के अधीन अनुज्ञेय पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद के प्रवेश स्तर वेतन पर नियत किया जाएगा।

(ii) उचित प्रणाली द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो वेतन पद के प्रवेश स्तर वेतन पर या पहले से लिए जा रहे मूल वेतन के समानस्तर पर, जो भी लाभकारी हो नियत किया जाएगा।

टिप्पण 1.– जहां वेतन बैंड में वेतन प्रवेश स्तर वेतन के समान नियत किया गया है, उपरोक्त (i) तथा (ii) दोनों मामलों में अगली वेतनवृद्धि की तिथि पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद पर 30 जून तक छः मास की न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी करने के अध्यधीन प्रथम जुलाई होगी।

टिप्पण 2.– जहां वेतन बैंड में वेतन पहले से लिए जा रहे वेतन के समान नियत किया गया है, उपरोक्त (i) तथा (ii) दोनों मामलों में अगली वेतनवृद्धि की तिथि भी प्रथम जुलाई होगी यदि अन्यथा उस दिन को अनुज्ञेय है।

वृतिमूलक या सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान से निम्नतर पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर वेतन नियतन।

11. हरियाणा सरकार के उसी या किसी अन्य विभाग में एक पद से दूसरे पर निम्नतर वेतनमान में पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर उच्चतर वेतनमान (वृतिमूलक या सुनिश्चित जीविका प्रगति) में वेतन लेते समय वेतन निम्नानुसार नियत किया जाएगा–

(i) नियम 9 में दिए गए उपबंध के अनुसार प्रवेश स्तर वेतन के समान यदि उचित प्रणाली द्वारा आवेदन नहीं किया;

(ii) तत्समय पर विद्यमान समान या उच्चतर वेतन ढ़ांचे में पूर्व अर्हक सेवा का लाभ केवल वेतनवृद्धियों में अप्रयोगमूलक आधार पर देकर बशर्ते पश्चात्वर्ती नियुक्ति के लिए

आवेदन उचित प्रणाली द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तथापि, निम्नतर वेतनमान की पूर्व अर्हक सेवा, यदि कोई हो, पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद के उच्चतर वेतन ढांचे की वेतनवृद्धि की ओर विचार में नहीं ली जाएगी।

टिप्पण 1.– जहां वेतन (i) के अधीन नियत किया गया है, अगली वेतनवृद्धि की तिथि पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद पर 30 जून तक न्यूनतम छः मास की अर्हक सेवा को पूरा करने के अध्यधीन प्रथम जुलाई होगी।

टिप्पण 2.– जहां वेतन बैंड में वेतन (ii) के अधीन नियत किया गया है, अगली वेतनवृद्धि की तिथि भी प्रथम जुलाई होगी, यदि उस दिन को इन नियमों के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय हो।

बाह्य संवर्ग पद पर नियुक्ति पर वेतन।

12. उच्चतर, उसी या निम्नतर वेतनमान के किसी बाह्य संवर्ग पद पर भर्ती के किसी ढंग द्वारा नियुक्ति पर, वृतिमूलक या सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान में वेतन लेते समय, हरियाणा सरकार के अधीन उसी या किसी अन्य विभाग में या किसी संगठन में विदेश सेवा पर, वेतन नियम 10 या 11, जैसी भी स्थिति हो, में दिए गए उपबंध के अनुसार नियत किया जाएगा।

अध्याय–IV

पदोन्नति पर वेतन नियतन/पुनः नियतन

वृतिमूलक वेतन ढांचे में वेतन लेते समय उच्चतर वेतन ढांचे के किसी पद पर पदोन्नति पर वेतन।

13. वृतिमूलक वेतन बैंड में वेतन लेते समय उच्चतर वेतन ढांचे के किसी संवर्ग पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर, वेतन निम्नानुसार नियत किया जाएगाः–

(i) इन नियमों में उपबंध के अनुसार प्रयोग किए गए विकल्प की तिथि से पदोन्नति की एक वेतनवृद्धि के लाभ के साथ, जो पदोन्नति से पूर्व लिए जा रहे वेतन के वेतन बैंड में जोड़ी जाएगी : या

(ii) नियम 9 में दिए गए उपबंध के अनुसार पदोन्नति पद के प्रवेश स्तर वेतन के समान;

जो भी उच्चतर हो।

टिप्पण 1.– अगली वेतन वृद्धि की तिथि के लिए देखिए नियम 37.

टिप्पण 2.– जहां किसी फीडर पद के लिए पदोन्नति की दो या ज्यादा लाइनें है, ऐसे मामले में, इन नियमों के प्रयोजन के लिए, फीडर पद से किसी पद पर पदोन्नति किसी संवर्ग पद पर पदोन्नति के रूप में समझी जाएगी। तथापि, पदोन्नति की लाइन के परिवर्तन पर, पूर्व पदोन्नति पद की सेवा किसी बाह्य संवर्ग पद पर सेवा के रूप में समझी जाएगी तथा परिवर्तित लाइन के पद पर वेतन फीडर पद के प्रकल्पित वेतन के सन्दर्भ में नियत किया जाएगा, जिसकी ज्येष्ठता परिवर्तित लाइन के किसी पद पर पदोन्नति के समय दृष्टिगत की गई है।

उदाहरण.– एक लिपिक वृतिमूलक वेतन बैंड में वेतन लेते समय आशुलिपि की जानकारी होने के कारण आशुलिपिक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। आशुलिपिक के पद पर उसका वेतन पदोन्नति की एक वेतनवृद्धि के लाभ के साथ नियत किया गया। आशुलिपिक के रूप में कार्य करते समय वह संबंधित सेवा नियमों में उपबंध के अनुसार लिपिक के पद की उसकी ज्येष्ठता के सन्दर्भ में सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। सहायक के पद पर उसका वेतन सहायक के पद के प्रभार ग्रहण की तिथि को लिपिक के पद के वेतनमान में उसको अनुज्ञेय उसके प्रकल्पित वेतन के संदर्भ में नियत किया जाएगा। आशुलिपिक के रूप में उस द्वारा दी गई सेवा किसी बाह्य संवर्ग पद पर सेवा के रूप में समझी जाएगी।

वेतन बैंड–4 से उच्चत्तर प्रशासनिक ग्रेड 67000–79000 में पदोन्नति पर वेतन।

14. वेतन बैंड–4 से उच्चत्तर प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति पर, वेतन निम्नानुसार नियत किया जाएगाः–

(क) 10,000 का वृतिमूलक ग्रेड वेतन लेते समय उच्चत्तर प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति–

(1) 2 जनवरी तथा 30 जून के बीच की तिथि से पदोन्नति की दशा में, पहले से लिए जा रहे वेतन के अतिरिक्त 2,000 रुपये का अतिरिक्त ग्रेड वेतन वर्ष के 30 जून तक प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अनुज्ञेय होगा। आगे नियतन प्रथम जुलाई से पदोन्नति की वेतनवृद्धि के लाभ हेतु विकल्प की दशा में दो वेतनवृद्धि के लाभ सहित प्रथम जुलाई को किया जाएगा। नियमों के अधीन एक सामान्य वेतनवृद्धि, यदि अन्यथा अनुज्ञेय हो, और एक वेतनवृद्धि पदोन्नति के कारण। इन दो वेतनवृद्धियों की संगणना करते समय पदोन्नति से पूर्व लिए जा रहे वेतन को गणना में लिया जाएगा।

(2) प्रथम जुलाई तथा प्रथम जनवरी के बीच पदोन्नति की दशा में जब पदोन्नति की एक वेतनवृद्धि के लाभ हेतु विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण की तिथि से किया गया है, तो वेतन पदोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से एक वेतनवृद्धि के लाभ सहित नियत किया जाएगा।

चूंकि उच्चत्तर प्रशासनिक ग्रेड के साथ कोई भी ग्रेड वेतन नहीं है, तो पहले से लिए जा रहे वृतिमूलक ग्रेड वेतन तथा 2,000/– रुपये की अतिरिक्त राशि (अर्थात् 12,000/– रुपये तथा पहले से लिए जा रहे वृतिमूलक ग्रेड वेतन 10,000/– रुपये के बीच के अन्तर के समान राशि) भी दोनों मामलों में जोड़ी जाएगी। उपरोक्त नियत वेतन न्यूनतम उच्चत्तर प्रशासनिक ग्रेड अर्थात् 67,000/– रुपये से कम नहीं होगा तथा अधिकतम अर्थात् 79,000/– रुपये से अधिक नहीं होगा।

(ख) सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान लेते समय उच्चत्तर प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति–

सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान में वेतन लेते समय उच्चत्तर प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति की दशा में, पदोन्नति की एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा। वेतन, पहले से लिए जा रहे वेतन बैंड जमा सुनिश्चित जीविका प्रगति ग्रेड वेतन के समान या उच्च प्रशासनिक ग्रेड के न्यूनतम, जो भी अधिक है, पर नियत किया जाएगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि प्रथम जुलाई होगी यदि उस दिन को अन्यथा अनुज्ञेय हो।

उसी वेतन ढांचे के पद पर पदोन्नति पर वेतन (प्रथम अप्रैल, 1979 से या के बाद संयोजित)।

15. पदोन्नति की एक वेतनवृद्धि का लाभ एक पद से दूसरे पर पदोन्नति पर अनुज्ञेय होगा जहां फीडर तथा पदोन्नत पदों का वृतिमूलक वेतनमान प्रथम अप्रैल, 1979 से या इसके बाद संयोजित किया गया है तथा वर्तमान में दोनों पदों का वेतनमान समान है।

टिप्पण.– इस नियम के अधीन अनुज्ञेय लाभ हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियमों के अधीन लाभ प्रदान करने के प्रयोजन के लिए वित्तीय बढ़ोतरी के रूप में समझा जाएगा।

उसी वेतन ढांचे के पद पर पदोन्नति पर वेतन (प्रथम अप्रैल, 1979 से पूर्व समरूप/ समान)।

16. एक वेतनवृद्धि का लाभ एक पद से दूसरे पर पदोन्नति पर अनुज्ञेय नहीं होगा जहां फीडर तथा पदोन्नत पदों के वृतिमूलक वेतन बैंड प्रथम अप्रैल, 1979 से पूर्व या पद (फीडर/पदोन्नत) के सर्जन की तिथि से समान/समरूप थे, तथा वर्तमान में दोनों पदों के वेतनमान भी समान है। ऐसे मामलों में, एक पद से दूसरे पर पदोन्नति पर, वेतन तथा वेतनवृद्धि की तिथि अपरिवर्तनीय रहेगी।

टिप्पण.– क्योंकि पदोन्नत पद का वेतनमान फीडर पद से कभी उच्चतर नहीं रहा है, इसलिए पदोन्नति की एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा।

उच्चतर वेतनमान के बदले में विशेष वेतन लेते समय पदोन्नति पर वेतन।

17. (1) उच्चतर वेतनमान के बदले में विशेष वेतन सहित वृतिमूलक या सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान में वेतन लेते समय एक पद से दूसरे पर पदोन्नति पर वेतन नियम 13 या 20, जैसी भी स्थिति हो, में उपबंध के अनुसार नियत किया जाएगा।

(2) फीडर पद के उच्चतर वेतनमान के बदले में विशेष वेतन–

(क) इस प्रकार नियत पदोन्नत पद के वेतन बैंड के वेतन में विलीन किया जाएगा यदि पदोन्नत पद के साथ उच्चतर वेतनमान के बदले में कोई भी विशेष वेतन नहीं है; या

(ख) विलीन नहीं किया जाएगा यदि फीडर तथा पदोन्नत पद दोनों के साथ उच्चतर वेतनमान के एवज् में विशेष वेतन का प्रावधान है;

(3) उपरोक्त नियत वेतन पदोन्नत पद के प्रवेश स्तर वेतन से कम नहीं होगा।

टिप्पण 1.– यदि फीडर पद के उच्चतर वेतनमान के एवज् में विशेष वेतन उस पदोन्नत पद के विशेष वेतन से अधिक है, तो दोनों पदों के विशेष वेतन के बीच का अन्तर पदोन्नत पद के वेतन में विलीन किया जाएगा।

टिप्पण 2.– पदोन्नति से पूर्व लिए जा रहे कठिन प्रकार के कर्त्तव्यों का विशेष वेतन पदोन्नत पद के वेतन के नियतन के समय विलीन नहीं किया जाएगा।

टिप्पण 3.– जहां फीडर पद पर उच्चतर वेतनमान के एवज् में विशेष वेतन का प्रावधान है तथा पदोन्नत पद कठिन प्रकार के कर्त्तव्यों का विशेष वेतन लेता है, तो उच्चतर वेतनमान के एवज् में प्राप्त विशेष वेतन विलीन किया जाएगा।

टिप्पण 4.– जहां प्रथम जुलाई से पूर्व एक पद से दूसरे पर पदोन्नति पर, वेतन बैंड में वेतन पदोन्नति की एक वेतनवृद्धि के किसी लाभ के बिना उच्चतर वेतनमान के बदले में विशेष वेतन को विलीन करने के रूप में बढ़ाया गया है, तो ऐसी बढ़ोतरी सामान्य वेतनवृद्धि प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अस्वीकार कर दी जाएगी जो अन्यथा प्रथम जुलाई को अनुज्ञेय हो।

समय पूर्व पदोन्नति पर वेतन।

18. (1) वृतिमूलक वेतन बैंड में वेतन लेते समय लोकहित में समयपूर्व पदोन्नति पर, (अर्थात् विहित अनुभव के पूरा करने से पूर्व पदोन्नति) विहित अनुभव की कमी को पूरा करने की तिथि तक की अवधि के लिए वेतन निम्नलिखित के समान नियत किया जाएगाः–

(i) नियम 9 में उपबंध के अनुसार पदोन्नत का प्रवेश स्तर वेतन (ग्रेड वेतन को छोड़कर); या

(ii) फीडर पद के वेतन बैंड में प्रकल्पित वेतन,

जो भी अधिक हो। तथापि, पदोन्नत पद का वृतिमूलक ग्रेड वेतन समयपूर्व पदोन्नति की तिथि से अनुज्ञेय होगा।

(2) विहित अनुभव के पूरा होने के बाद, वेतन सामान्य नियमों के अधीन, विकल्प के अनुसार, पुनः नियत किया जाएगा, मानो पदधारी उस दिन को पदोन्नत किया गया है। पदोन्नत पद के वेतन के पुनः नियतन के समय फीडर पद का प्रकल्पित मूल वेतन विचार में लिया जाएग।

टिप्पण.– समयपूर्व पदोन्नति की तिथि से सेवा की अवधि आगे पदोन्नति, यदि कोई हो, के लिए गिनी जाएगी ।

पदावनति के बाद उसी पद पर पदोन्नति द्वारा पुनः नियुक्ति पर वेतन।

19. पूर्व में धारित पद पर पदोन्नति द्वारा पुनः नियुक्ति पर, पदोन्नत पद पर वेतन निम्नानुसार नियत किया जाएगाः–

(i) पूर्व समय पर पहले से प्राप्त किए गए वेतन बैंड में वेतन के समान; या

(ii) नये सिरे से पदोन्नति की दशा में इन नियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय;

जो भी अधिक हो।

उपरोक्त (i) के रूप में नियतन की दशा में, पूर्व में लिए जा रहे वेतन बैंड में समान वेतन की अर्हक सेवा की अवधि प्रथम जुलाई को पदोन्नत पद की सामान्य वेतनवृद्धि प्रदान करने के प्रयोजन के लिए 30 जून तक न्यूनतम छः मास की अर्हक सेवा की संगणना करते समय हिसाब में ली जाएगी। तथापि, उपरोक्त (ii) की दशा में, वार्षिक वेतनवृद्धि सामान्य नियमों के अनुसार अनुज्ञेय होगी।

टिप्पण 1.– 'समान पद' में समान वेतनमान के अन्तर्बदल पदोन्नत पद भी शामिल हैं।

टिप्पण 2.– अगली वेतनवृद्धि की तिथि के लिए यदि वेतन उपरोक्त (i) के अधीन नियत किया गया है तो, देखिए नियम 37(i) तथा यदि वेतन उपरोक्त (ii) के अधीन नियत किया गया है तो देखिए नियम 37(ii).

सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान में वेतन लेते समय पदोन्नति पर वेतन।

20. पदोन्नति के समय लिए जा रहे सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान से निम्नतर या उच्चतर में या समरूप वेतनमान के पद पर पदोन्नति पर, वेतन निम्नलिखित के समान नियत किया जाएगा–

(i) फीडर पद पर पहले से लिए जा रहे वेतन बैंड तथा/या सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान में वेतन; या

(ii) नियम 9 में दिए गए उपबंध के अनुसार पदोन्नत पद का प्रवेश स्तर वेतन;

जो भी अधिक लाभकारी हो।

टिप्पण 1.– जहां वेतन उपरोक्त (i) के अधीन नियत किया गया है, तो अगली वेतनवृद्धि प्रथम जुलाई होगी, यदि अन्यथा उस दिन को अनुज्ञेय होगी। यदि वेतन उपरोक्त (ii) के अधीन नियत किया गया है, तो अगली वेतनवृद्धि की तिथि भी पदोन्नत पद पर 30 जून तक न्यूनतम छः मास की अर्हक सेवा पूरी करने के अध्यधीन प्रथम जुलाई होगी। यदि पदोन्नत पद का ग्रेड वेतन पहले से लिए जा रहे ग्रेड वेतन से अधिक है, तो वह पदोन्नत पद पर 30 जून तक न्यूनतम छः मास की अर्हक सेवा पूरी करने के अध्यधीन सामान्य वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

टिप्पण 2.– यदि पदोन्नत पद का वृतिमूलक वेतन बैंड पहले से लिए जा रहे सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान के समरूप है, तो सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान की नामपद्धति वृतिमूलक वेतनमान में परिवर्तित की जाएगी।

विशेष हकदारी के रूप में वेतन का पुनः नियतन।

21. पदोन्नत पद पर कार्य करते समय, यदि मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन तथा/या वृतिमूलक ग्रेड वेतन) लिए जा रहे प्रकल्पित मूल वेतन से निम्न है जो अन्यथा अनुज्ञेय होता–

(i) फीडर पद के सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान में, यदि अगले सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान की पात्रता की तिथि से पूर्व पदोन्नति नहीं की जाती; या

(ii) फीडर तथा पदोन्नत पद (पदों) के वृत्तिमूलक से वृत्तिमूलक वेतन बैंड में पदोन्नति पर यदि पदोन्नति (पदोन्नतियों) से पूर्व सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान प्रदान नहीं किया जाता;

जैसी भी स्थिति हो, तो मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन तथा/या वृतिमूलक वेतनमान), विशेष हकदारी के रूप में, निम्नलिखित के समान पुनः नियत किया जाएगा.–

(क) फीडर पद के सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान (वेतन बैंड में वेतन तथा/या सुनिश्चित जीविका प्रगति ग्रेड वेतन) में प्रकल्पित मूल वेतन जो अन्यथा अनुज्ञेय होता यदि पदोन्नति जीविका प्रगति वेतन ढांचे में नाम पद्धति रूप में परिवर्तन से न की जाती; या

(ख) मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन तथा/या वृत्तिमूलक ग्रेड वेतन) जो अन्यथा फीडर तथा पदोन्नत पद (पदों) के वृत्तिमूलक से वृत्तिमूलक वेतन बैंड में पदोन्नति पर अनुज्ञेय होगा यदि सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान प्रदान नहीं किया गया होता ।

परस्पर ज्येष्टता की दशा में पदोन्नति पर वेतन।

22. जहां पदोन्नत पद परस्पर ज्येष्ठता के आधार पर एक से अधिक फीडर संवर्गों में से भरे गए हैं, तो पदधारी का वेतन फीडर पद, जिसकी ज्येष्ठता पदोन्नति के समय दृष्टिगत रखी गई है, के मूल वेतन के दृष्टिगत नियत किया जाएगा।

उदाहरण : विभिन्न विभागों में उनके सेवा नियमों में उपबंध के अनुसार, सहायक के पद परस्पर ज्येष्ठता के आधार पर लिपिक/आशुटंकक/कनिष्ठ स्तर आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा भरे गए हैं। दो कर्मचारी श्री 'क' तथा 'ख' ने प्रारम्भ में लिपिक के रूप में सेवा ग्रहण की, बाद में, आशुलिपि की विभागीय परीक्षा अर्हक करने के बाद श्री 'ख' आशु–टंकक के पद पर पदोन्नत किया गया था तथा उसके बाद कनिष्ठ स्तर आशुलिपिक के पद पर, किन्तु इस बीच श्री 'ग' ने श्री 'ख' की कनिष्ठ स्तर आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति से पूर्व सीधे रूप से कनिष्ठ स्तर आशुलिपिक के रूप में सेवा ग्रहण कर ली है तथा कनिष्ठ स्तर आशुलिपिक की ज्येष्ठता सूची में श्री 'ख' से ज्येष्ठ है। वर्तमान में श्री 'क' लिपिक के रूप में कार्य कर रहा है तथा लिपिकों की ज्येष्ठता सूची में श्री 'ख' से ज्येष्ठ है, श्री 'ख' तथा श्री 'ग' कनिष्ठ स्तर आशुलिपिक हैं तथा श्री 'ग' कनिष्ठ स्तर आशुलिपिकों की ज्येष्ठता सूची में श्री 'ख' से ज्येष्ठ है। सहायकों के दो रिक्त पद परस्पर ज्येष्ठता के आधार पर लिपिकों/आशुटंककों/कनिष्ठ स्तर आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं। उपरोक्त सभी तीनों कर्मचारियों का सेवा रिकार्ड सन्तोषजनक है। नियमों के अधीन श्री 'क' तथा 'ख' लिपिक के रूप में उनकी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सहायक के पद पर पदोन्नत किए जाएंगे। श्री 'ख' कनिष्ठ स्तर आशुलिपिक के रूप में कार्य करते समय लिपिक की ज्येष्ठता को मध्यनज़र रखते हुए सहायक के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा, इसलिए सहायक के रूप में उसका वेतन पदोन्नति के समय कनिष्ठ स्तर आशुलिपिक के रूप में उस द्वारा वास्तव में लिए जा रहे वेतन की बजाए लिपिक के उसके प्रकल्पित वेतन के दृष्टिगत नियत किया जाएगा। यदि सहायक के पद पर श्री 'ख' का वेतन लिपिक के उसके प्रकल्पित वेतन के सम्बन्ध में नियत किया गया है, तो कनिष्ठ स्तर आशुलिपिक के पद पर उस द्वारा पहले से ली गई पदोन्नति सीमित अवधि के लिए बाह्य संवर्ग पद पर नियुक्ति के रूप में इसे समझते हुए अस्वीकार कर दी जाएगी अन्यथा सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान प्रदान के प्रयोजन के लिए वित्तीय बढ़ोतरी होगी तथा कनिष्ठ और ज्येष्ठ के बीच विषमता पैदा कर सकती है।

अध्याय–V

पदोन्नति पर वेतन के नियतन के लिए विकल्प

पदोन्नति पर वेतन के नियतन के लिए विकल्प।

23. जहां एक वेतनवृद्धि का लाभ एक पद से दूसरे पर पदोन्नति के समय इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय है, पदधारी ने या तो पदोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से या अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् प्रथम जुलाई से पदोन्नत पद पर उसके वेतन के नियतन के लिए कोई विकल्प दिया है। यह विकल्प पदोन्नति के आदेश की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर सादे कागज पर प्रयोग किया जाएगा। यदि विकल्प सम्बन्धी सूचना विहित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं की जाती है, तो पदोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से विकल्प किया गया समझा जाएगा।

टिप्पण.– एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा तथा परिवर्तित नहीं किया जाएगा सिवाए जहां वेतन पदोन्नति की तिथि की पूर्व तिथि से भूतलक्षी रूप से पुनः नियत किया गया है।

वेतन का नियतन।

24. (1) यदि विकल्प अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् प्रथम जुलाई से है.–

वृतिमूलक वेतन बैंड प्राप्त करते हुए एक पद से दूसरे पर पदोन्नति पर, यदि एक वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त करने का विकल्प अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् प्रथम जुलाई से प्रयोग किया गया है, ऐसे मामले में, पहले से लिए जा रहे वेतन बैंड में वेतन जमा पदोन्नत पद का वृतिमूलक ग्रेड वेतन 30 जून तक अनुज्ञेय होगा। आगे पुनः नियतन उसकी अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् प्रथम जुलाई से किया जाएगा। उस दिन को, दो वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएंगी; एक सामान्य वेतनवृद्धि, यदि अन्यथा अनुज्ञेय हो, तथा दूसरी पदोन्नति के कारण। इन दो वेतनवृद्धियों की संगणना करते समय, पदोन्नति की तिथि से पूर्व मूल वेतन हिसाब में लिया जाएगा।

उदाहरणार्थ.– पदोन्नति की तिथि से पूर्व मूल वेतन (वेतन बैंड जमा ग्रेड वेतन में वेतन) यदि 20,000/– रुपये था, तो प्रथम वेतनवृद्धि 20,000/– रुपये पर तथा अगली 20,600/– पर संगणित की जाएगी।

(2) यदि विकल्प पदोन्नति की तिथि से किया गया है.–

यदि इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पदोन्नति का एक वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प पदोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रयोग किया गया है, तो ऐसे मामले में वेतन एक वेतनवृद्धि के लाभ के साथ उस दिन से नियत किया जाएगा, किन्तु सामान्य वेतनवृद्धि प्रथम जुलाई को 30 जून तक पदोन्नत पद पर न्यूनतम छः मास की अर्हक सेवा पूरी करने के अध्यधीन अनुज्ञेय होगी।

अध्याय–VI

पदावनत पर वेतन का नियतन

बाह्य संवर्ग से संवर्ग पद पर पदावनत पर वेतन।

25. (1) उसी या किसी अन्य विभाग में उच्चतर वेतन ढांचे के बाह्य संवर्ग पद पर लिया गया वेतन मूल संवर्ग के पद पर वापस आने पर संरक्षित नहीं होगा। तथापि, संवर्ग पद के समरूप या उस से उच्चतर वेतनमान में बाह्य–संवर्ग पद की अर्हक सेवा की अवधि संवर्ग पद (पदों) के वेतनमान में वेतनवृद्धि में गिनी जाएगी। वापसी पर, वेतन प्रकल्पित मूल वेतन के आधार पर पुनः नियत किया जाएगा जो अनुज्ञेय होता यदि नियुक्ति बाह्य संवर्ग पर नहीं की गई होती।

(2) निम्नतर वेतन ढांचे के बाह्य संवर्ग पद से उच्चतर वेतन ढांचे के संवर्ग पद पर वापसी पर, वेतन संवर्ग पद या बाह्य संवर्ग पद के वेतन बैंड में अन्तिम लिए गए वेतन के समान नियत किया जाएगा, जो भी अधिक हो।

उच्चतर से निम्नतर वेतन ढांचे या पदोन्नत से फीडर पद पर पदावनत होने पर वेतन।

26. वृतिमूलक वेतन बैंड में वेतन लेते समय उसकी स्वंयं की सहमति पर या प्रशासकीय कारणों के कारण निम्नतर वेतन ढांचे के एक पद से दूसरे पर पदावनत होने पर, किन्तु दण्ड के उपाय के रूप में नहीं, वेतन नियत किया जाएगा जो पदावनत की तिथि को निम्नतर वेतन ढांचे या फीडर पद के वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में अनुज्ञेय होता, यदि पदोन्नति या नियुक्ति उच्चतर वेतनमान के पद पर नहीं की जाती। उच्चतर वेतन ढांचे की अर्हक सेवा फीडर पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए गिनी जाएगी।

———————

अध्याय–VII

वेतन ढांचे के रूपान्तरण पर वेतन का नियतन

प्रथम जनवरी, 2006 के बाद ग्रेड वेतन के रूपान्तरण पर वेतन।

27. (1) किसी मामले में अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर, प्रथम जनवरी, 2006 के बाद की तिथि से ग्रेड वेतन के रूपान्तरण पर, रूपान्तरित ग्रेड वेतन रूपान्तरण के दिन से अनुज्ञेय होगा। सामान्य वेतनवृद्धि की संगणना करते समय प्रथम जुलाई को रूपान्तरित ग्रेड वेतन 30 जून तक न्यूनतम छः मास की अर्हक सेवा के पूरा होने के अध्यधीन हिसाब में लिया जाएगा;

अन्यथा पूर्व ग्रेड वेतन हिसाब में लिया जाएगा। रूपान्तरित ग्रेड वेतन में वेतन के नियतन के लिए किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं है।

(2) प्रथम जनवरी, 2006 के बाद की तिथि से ग्रेड वेतन के रूपान्तरण पर, ऐसे मामलों में उस पद के प्रथम, द्वितीय/तृतीय सुनिश्चित जीविका प्रगति निम्नलिखित के समान होगी–

(i) प्रथम जनवरी, 2006 को पूर्व रूपान्तरित वृतिमूलक ग्रेड वेतन का समरूपी सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान; या

(ii) रूपान्तरित वृतिमूलक ग्रेड वेतन,

जो भी उच्चतर है।

जहां सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान रूपान्तरित वृतिमूलक ग्रेड वेतन के प्रभाव की तिथि के बाद किसी तिथि से देय है तो, सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान की देयता पर एक वेतनवृद्धि का लाभ उसके ग्रेड वेतन में किसी बढ़ोतरी को ध्यान में रखे बिना अनुज्ञेय होगा।

(3) जहां वेतन, रूपान्तरण की तिथि को सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान में पहले से ही लिया जा रहा है, तथा सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान–

(क) पद के रूपान्तरित वृतिमूलक वेतन ढांचे से निम्न है, तो सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान रूपान्तरित वृतिमूलक वेतन ढांचे के समान बढ़ाया जाएगा; या

(ख) पद के रूपान्तरित वृतिमूलक वेतन ढांचे के समान है, तो वह अपरिवर्तनीय रहेगी तथापि, दोनों मामलों में ग्रेड वेतन की नामपद्धति सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान रहेगी।

प्रथम जनवरी, 2006 के बाद वेतन बैंड के रूपान्तरण पर वेतन।

28. (1) वेतन बैंड के रूपान्तरण पर, विकल्प रूपान्तरण के आदेश की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर प्रयोग किया जाएगा, वेतन के नियतन के लिए या तो रूपान्तरण की तिथि से या अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् प्रथम जुलाई से, जो भी अधिक लाभकारी है। यदि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी से विहित अवधि के भीतर कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो वेतन बैंड के रूपान्तरण की तिथि वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिए उसके विकल्प के तिथि के रूप में समझी जाएगी।

(2) प्रथम जनवरी, 2006 के बाद किसी तिथि से वेतन बैंड (ग्रेड वेतन के साथ या के बिना) के रूपान्तरण पर, वेतन विद्यमान वेतन बैंड में पहले से लिये जा रहे वेतन या रूपान्तरित वेतन बैंड के न्यूनतम, जो भी अधिक है, जमा रूपान्तरित या अन्यथा ग्रेड वेतन के समान इसके विकल्प की तिथि से नियत किया जाएगा।

टिप्पण.–जहां वेतन रूपान्तरित वेतन बैंड के न्यूनतम पर नियत किया गया है, तो सामान्य वेतनवृद्धि 30 जून तक रूपान्तरित वेतन बैंड में न्यूनतम छः मास की अर्हक सेवा के पूरा होने के अध्यधीन प्रथम जुलाई को अनुज्ञेय होगी अन्यथा अगले वर्ष प्रथम जुलाई को। अन्य सभी मामलों में अगली वेतनवृद्धि की तिथि प्रथम जुलाई होगी यदि अन्यथा सामान्य नियमों के अधीन अनुज्ञेय है।

(3) जहां रूपान्तरित वेतन बैंड अगली वेतनवृद्धि की तिथि से विकल्पित किया गया है, तो ऐसे मामले में वेतन बैंड जमा रूपान्तरित ग्रेड वेतन, यदि कोई हो, में विद्यमान वेतन उस अवधि तक अनुज्ञेय होगा। रूपान्तरित वेतन बैंड में वेतन तिथि जिसको विकल्प किया गया है से नियत किया जाएगा।

(4) एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा तथा जहां वेतन, वेतन बैंड के रूपान्तरण के प्रभाव की तिथि की पूर्व तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से पुनः नियत किया गया है को छोड़ कर किन्हीं परिस्थितियों में परिवर्तित नहीं होगा।

———————

अध्याय–VIII

वेतनवृद्धि

वेतनवृद्धि प्रदान करना।

29. (1) इन निमयों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सामान्य वेतनवृद्धि (वार्षिक वेतनवृद्धि) सामान्यः प्रक्रिया के अनुसार मिलेगी, यदि अन्यथा अनुज्ञेय हो, जब तक देय तिथि से पूर्व यह रोकी नहीं गयी है। यह वेतन बैंड में वेतन की किसी बढ़ोतरी के बिना 30 जून तक न्यूनतम छः मास के अर्हक सेवा पूरी होने के अध्यधीन प्रत्येक वर्ष प्रथम जुलाई को प्रदान की जाएगी।

(2) अग्रिम या अप्रशम्य वेतनवृद्धि(यां) जो कतिपय परीक्षाओं को पास करने, उच्चतर योग्यता या अन्यथा के परिणाम स्वरूप प्रदान की जाती हैं, सुसंगत नियमों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों द्वारा नियमित की जाएंगी।

(3) कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीन कार्यरत अधीनस्थों को सामान्य अनुक्रम में वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञात करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। कार्यालयाध्यक्ष को वेतनवृद्धि पदाभिहित उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाएगी।

वेतनवृद्धि के लिए अर्हक सेवा।

30. नियमित आधार पर नियुक्त किए गए किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा की निम्नलिखित अवधियां वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए अर्हक होंगीः–

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा वेतन के प्रयोजन के लिए निलम्बन, पदच्युति, हटाए जाने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अवधि को बहाली द्वारा ड्यूटी के रूप में समझी गई अवधि;

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए डयूटी के रूप में समझी गई सेवा की कोई अन्य अवधि।

टिप्पण 1.– किसी मामलें में जिसमें वित्त विभाग की सन्तुष्टि हो गई है कि असाधारण अवकाश सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर किसी कारण से या कार्य से सम्बद्ध उच्चतर वैज्ञानिक, तकनीकी या व्यावसायिक अध्ययनों को पूरा करने के लिए लिया गया था, को वेतनवृद्धि के लिए गिनने के रूप में अनुज्ञात किया जा सकता है।

टिप्पण 2.– निलम्बन की अवधि अर्हक सेवा के रूप में तब तक नहीं समझी जाएगी जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अवधि के लिए कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता है।

टिप्पण 3.– अकार्य दिवस की अवधि, यदि कोई हो, अर्हक सेवा के रूप में नहीं समझी जाएगी।

किसी वेतन बैंड में वेतनवृद्धि की दर।

31. (1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वेतनवृद्धि की दर वेतन बैंड जमा ग्रेड वेतन में वेतन की कुल राशि की 3% (तीन) प्रतिशत या समय–समय पर यथा संशोधित होगी। वेतनवृद्धि की राशि वेतन बैंड में विद्यमान वेतन में जोड़ी जाएगी। वेतनवृद्धि की संगणना करते समय, पैसों को अस्वीकार कर दिया जाएगा, किन्तु रुपया या अधिक की कोई राशि अगले 10 (दस) के गुणक में पूर्णांक होगी।

टिप्पण.– उदाहरणार्थ, यदि वेतनवृद्धि की राशि रुपये 600.90 पैसे में आती है, तो यह रुपये 600 के पूर्णांक में होगी; यदि वेतनवृद्धि की राशि रुपये 601 के रूप में संगणित की गई है, तो यह रुपये 610 के पूर्णांक में होगी।

(2) सरकारी सेवा में प्रथम प्रवेश पर, प्रथम वेतनवृद्धि 30 जून तक अर्हक सेवा के पूर्ण मासों के दृष्टिगत यथानुपात में प्रदान की जाएगी। किसी मास के प्रथम और पन्द्रह के बीच कार्यग्रहण करने की दशा में वह मास पूर्ण मास के रूप में समझा जाएगा और किसी मास के सोलह तिथि को या बाद में कार्यग्रहण करने की दशा में, कार्यग्रहण करने का मास, आनुपातिक वेतनवृद्धि प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि प्रथम जुलाई से पूर्व पूर्ण मास –

(क) 7 हैं, तो आनुपातिक वेतनवृद्धि मूल वेतन के 3 प्रतिशत की राशि x 7/12 के समान अनुज्ञेय होगी जो 10 के ठीक गुणक में पूर्णांक होगी ;

(ख) 5 हैं, तो आनुपातिक वेतनवृद्धि मूल वेतन के 3 प्रतिशत की राशि x 5/12 के समान अनुज्ञेय होगी जो 10 के ठीक गुणक में पूर्णांक होगी;

टिप्पण.– सरकारी कर्मचारी जो प्रथम जुलाई को सेवा में नहीं है को वेतनवृद्धि, अनुपातिक अथवा अन्य, का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा।

किसी वेतन बैंड में वेतनवृद्धि की तिथि।

32. (1) सामान्य वेतनवृद्धि की एक समान तिथि अर्थात् प्रत्येक वर्ष की प्रथम जुलाई होगी। यदि वेतन उच्चत्तर प्रशासनिक ग्रेड तक किसी भी वेतन बैंड में लिया जा रहा है, तो सामान्य वेतनवृद्धि उस दिन को प्रदान की जाएगी बशर्ते वेतन बैंड के वेतन में किसी बढ़ोतरी के बिना 30 जून तक न्यूनतम छः मास की अर्हक सेवा पूरी की हो।

अपवाद.– एक पद से दूसरे पर पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर वेतन के नियतन के समय पर विशेष वेतन को विलीन करने के रूप में वेतन बैंड में वेतन में कोई बढ़ोतरी 30 जून तक न्यूनतम छः मास की अर्हक सेवा की संगणना करने के समय उपेक्षित कर दी जाएगी।

(2) प्रथम जुलाई को उच्चतर ग्रेड वेतन के किसी पद पर पदोन्नति पर, अर्थात् सामान्य वेतनवृद्धि की तिथि को, प्रथम सामान्य वेतनवृद्धि पदोन्नति से पूर्व लिए जा रहे मूल वेतन पर प्रदान की जाएगी, यदि अन्यथा उस दिन को नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो, उसके बाद, वेतन पदोन्नति पद पर नियत किया जाएगा।

(3) सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में, प्रथम जुलाई को सामान्य वेतनवृद्धि सरकारी कर्मचारी की पात्रता के अध्यधीन प्रदान की जाएगी–

(क) वास्तव में, अवकाश पर न होते हुए मृत्यु की दशा में प्रथम जुलाई को; तथा

(ख) अप्रयोगमूलक के रूप में, अवकाश पर होते हुए प्रथम जुलाई या बाद में मृत्यु की दशा में बशर्ते कि वह अनुज्ञेय होती यदि वह मृत्यु की तिथि को डयूटी पर होता।

प्रथम जुलाई को अवकाश के दौरान वेतनवृद्धि प्रदान करना।

33. प्रथम जुलाई को देय वेतनवृद्धि, पात्रता के अध्यधीन, अप्रयोगमूलक आधार पर प्रदान की जाएगी यदि सरकारी कर्मचारी उस दिन को अवकाश (आकस्मिक अवकाश से भिन्न) पर है तथा वास्तविक आधार पर अवकाश से लौटने के बाद ड्यूटी ग्रहण करने की तिथि से, बशर्ते कि अवकाश सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है।

टिप्पण.– सक्षम प्राधिकारी की उचित स्वीकृति के बिना अनुपस्थिति की कोई भी अवधि अवकाश के रूप में नहीं समझी जाएगी।

यदि प्रथम जनवरी को छुट्टी है, तो वेतनवृद्धि की तिथि।

34. जब कोई सरकारी कर्मचारी पदोन्नति पर अपनी ड्यूटी ग्रहण करने के लिए अन्यथा समर्थ है किन्तु जनवरी की प्रथम को पड़ने वाली छुट्टी या छुट्टियों के अनुक्रम के कारण पदग्रहण नहीं कर सका, तथा वर्ष के प्रथम कार्य दिवस को अर्थात् 2 जनवरी को या के बाद में, दोपहर से पूर्व पद ग्रहण करता है तो सामान्य वेतनवृद्धि को प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उस वर्ष के 30 जून तक छः मास की अर्हक सेवा पूरी कर ली गई समझी जाएगी, बशर्ते कि वह पदोन्नत पद के ग्रेड वेतन सहित प्रथम जुलाई को उसको अनुज्ञेय हो गई होती यदि प्रथम जनवरी को छुट्टी या छुट्टियों के अनुक्रम नहीं होते। तथापि, वेतन वास्तव में ड्यूटी ग्रहण करने की तिथि से अनुज्ञेय होगा तथा न कि प्रथम जनवरी से। सभी अन्य मामलों में, जहां ड्यूटी उच्चतर ग्रेड वेतन में प्रथम जनवरी को दोपहर बाद तथा 30 जून के बीच ग्रहण की गई है, तो यह लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा।

गैर–अर्हक सेवा की दशा में वेतनवृद्धि को मुल्तवी करना।

35. आनुपातिक वेतनवृद्धि की दशा के सिवाय, जहां अर्हक सेवा अगले वर्ष के प्रथम जुलाई से 30 जून तक की अवधि के दौरान छः मास से कम है, कोई भी कारण हो, जैसे चिकित्सा प्रमाण–पत्र के बिना असाधारण अवकाश, अकार्य दिवस की अवधि, अनिर्णीत निलम्बन अवधि, गैर–ड्यूटी के रूप में निलम्बन की प्रतिपादन अवधि, अप्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के कारण, प्रथम जनवरी के बाद वेतन बैंड में वेतन में बढ़ोतरी इत्यादि के कारण, तो यह आगामी वर्ष की प्रथम जुलाई तक वेतनवृद्धि को लम्बित रखने का प्रभाव होगा।

ड्यूटी के दौरान प्रथम जुलाई को वेतनवृद्धि।

36. जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी अगली वेतनवृद्धि की तिथि को (अर्थात् प्रथम जुलाई को) कार्यालय में वास्तव में उपस्थित नहीं है किन्तु नियमों के अधीन वह डयूटी पर है, जैसे प्रशिक्षण, दौरे, अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि, पदग्रहण काल प्राप्ति, लम्बी छुट्टी या अन्यथा है, तो सामान्य वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी यदि वह अन्यथा अनुज्ञेय होती यदि वह प्रथम जुलाई को कार्यालय में होता।

वेतनवृद्धि जहां वेतन बैंड तथा/या ग्रेड वेतन प्रथम जुलाई से पूर्व परिवर्तित किया गया हैं।

37. जहां वेतन बैंड तथा/या ग्रेड वेतन प्रथम जुलाई से पूर्व किसी तिथि से निम्नतर से उच्चतर या विपर्ययन परिवर्तित किया गया है, जो भी कारण हों, जैसे पदोन्नति, सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान प्रदान करने, वेतनमान का रूपान्तरण, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण, पश्चात्वर्ती नियुक्ति इत्यादि के कारण से है, तो प्रथम जुलाई को सामान्य वेतनवृद्धि 30 जून तक न्यूनतम छः मास की अर्हक सेवा पूरी होने के अध्यधीन अनुज्ञेय होगी–

(i) वेतन बैंड में वेतन की किसी बढोतरी के बिना एक या अधिक वेतनमान में। निम्नतर से उच्चतर ग्रेड वेतन में कोई वृद्धि, इस प्रयोजन के लिए अस्वीकार कर दी जाएगी, तथापि, उच्चतर ग्रेड वेतन में 30 जून तक न्यूनतम छः मास या अधिक की अर्हक सेवा के पूरा होने पर उच्चतर ग्रेड वेतन हिसाब में लिया जाएगा अन्यथा निम्नतर ग्रेड वेतन हिसाब में लिया जाएगा; या

(ii) नए वेतनमान में, यदि ऐसे परिवर्तन में वेतन बैंड के वेतन की कोई बढ़ोतरी शामिल है या वेतन पद के प्रवेश स्तर वेतन पर नियत किया गया है, जैसी भी स्थिति हो।

टिप्पण.– जहां वेतन बैंड तथा/या ग्रेड वेतन में वेतन उच्चतर से निम्नतर में परिवर्तित किया गया है, जो भी कारण हों, तो वेतन बैंड तथा/या ग्रेड वेतन में केवल निम्नतर वेतन सामान्य वेतनवृद्धि की संगणना करते समय सभी मामलों में हिसाब में लिया जाएगा, यदि अन्यथा प्रथम जुलाई को अनुज्ञेय है।

वेतनवृद्धि प्रदान करना यदि किसी विभागीय परीक्षा की पूर्व शर्त है।

38. जहां किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पर, सेवा नियमों में उपबन्ध के अनुसार, सामान्य वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए किसी विभागीय परीक्षा को पास करने या अन्य शर्तों को पूरा करने की कोई पूर्वापेक्षा है तथा वह प्रथम जुलाई की तिथि से पूर्व अर्हित/पूरी है, तो सामान्य वेतनवृद्धि प्रथम जुलाई को प्रदान की जाएगी यदि अन्यथा अनुज्ञेय है। यदि वह उसके बाद अर्हित की गई है, तो वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) समय–समय पर लागू दर पर देय तिथि (तिथियों) से अप्रयोगमूलक रूप से प्रदान की जाएगी/जाएंगी तथा वास्तविक रूप से परीक्षा (परीक्षाओं) में उपस्थिति की अन्तिम तिथि से जो अर्हित की है/की गई हैं:

परन्तु किसी ऐसे पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर, फीडर पद का प्रकल्पित मूल वेतन, यदि यह ज्यादा लाभकारी है, अनुज्ञेय होगा जब तक पदोन्नत पद की सामान्य वेतनवृद्धि के लिए विहित विभागीय परीक्षा अर्हित नहीं कर ली जाती है या अन्य शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है।

वेतन बैंड के निकटतम या अधिकतम के बाद वेतनवृद्धि।

39. जहां वेतन बैंड में वेतन.–

(i) वेतन बैंड के अधिकतम पर लिया जा रहा है; या

(ii) वेतन बैंड के अधिकतम के निकटतम लिया जा रहा है या अगली वेतनवृद्धि की तिथि को वेतन बैंड का अधिकतम, अनुज्ञेय वेतनवृद्धि की राशि को जोड़ने के बाद कम पड़ता है, तो यह समझा जाएगा कि वेतन, वेतन बैंड के अधिकतम पर लिया जा रहा है,

तो वेतन बैंड ग्रेड वेतन में कोई परिवर्तन किए बिना वेतनवृद्धि प्रदान करने के समय पर ठीक अगले उच्चतर में परिवर्तित किया जाएगा।

टिप्पण.– यह लाभ वेतन बैंड–4 अर्थात् रुपये 37400–67,000, तक अनुज्ञेय होगा। रुपये 67,000 के बाद आगे कोई भी वेतनवृद्धि अनुज्ञेय नहीं होगी।

परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतनवृद्धि का विनियमन।

40. सामान्य वेतनवृद्धि सीधी भर्ती द्वारा या अन्यथा 'परिवीक्षक' के रूप में या 'परिवीक्षा पर' नियुक्ति पर, पात्रता के अध्यधीन प्रथम जुलाई को अनुज्ञेय होगी जब तक इस नियम का प्रतिकूल कोई उपबंध नियुक्ति के निबंधनों तथा शर्तों में या धारित पद की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले सेवा नियमों में विद्यमान नहीं है।

अध्याय–IX

वेतनवृद्धि रोकने या निम्नतर वेतन पर अवनति करने का दण्ड

वेतनवृद्धि रोकने पर वेतन।

41. किसी सरकारी कर्मचारी की वेतनवृद्धि को हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 या किन्हीं अन्य नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोका जा सकता है। वेतनवृद्धि को रोकने के अनुक्रम में, रोकने वाला प्राधिकारी स्पष्ट रूप से वेतनवृद्धि की संख्या तथा/या अवधि जिसके लिए वे रोकी जानी है कथित करेगा तथा क्या स्थगन भविष्य की वेतनवृद्धि के स्थगन को प्रभावित करेगा या नहीं अर्थात् क्या रोकी गई वेतनवृद्धि संचयी प्रभावी से या के बिना है।

व्याख्या 1.– यदि बिना संचयी प्रभाव के बिना तीन वेतनवृद्धियों को रोकने का दण्ड दिया गया है, तो वह प्रथम जुलाई को देय अगली वेतनवृद्धि की तिथि से प्रभावी होगी। कोई भी सामान्य वेतनवृद्धि लगातार तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञेय नहीं होगी तथा चौथे वर्ष की प्रथम जुलाई को सामान्य वेतनवृद्धि, यदि अन्यथा अनुज्ञेय है, पूर्व में रोकी गई तीनों वेतनवृद्धियों सहित अनुज्ञात की जाएगी।

व्याख्या 2.– यदि संचयी प्रभाव से तीन वेतनवृद्धियों को रोकने का दण्ड दिया गया है, तो कोई भी सामान्य वेतनवृद्धि लगातार तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञेय नहीं होगी। चौथे वर्ष की प्रथम जुलाई को केवल एक सामान्य वेतनवृद्धि, यदि अन्यथा अनुज्ञेय है, अनुज्ञात की जाएगी।

टिप्पण.– छः मास से अधिक की गैर–अर्हक सेवा के कारण, दण्ड की अवधि के दौरान, सामान्य वेतनवृद्धि के स्थगन का, पहले से दिए गए दण्ड पर प्रभाव होगा तथा उस समयावधि तक बढ़ाया समझा जाएगा।

जब वेतनवृद्धि को रोकने की शक्तियों का अनुक्रम अधिरोपित किया जाता है।

42. पृथक् मामलों में एक के बाद दूसरी वेतनवृद्धि रोकने की शस्तियों के अधिरोपण की दशा में, वेतनवृद्धि रोकने के प्रथम दण्ड का प्रभाव, दण्ड आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जारी रहेगा। उसके बाद वेतन वेतनवृद्धि(यां) देते हुए बढ़ाया जाएगा (यदि शास्ति संचयी प्रभाव के बिना है) जो शास्ति के अधिरोपण की अनुपस्थिती में अनुज्ञेय की गई होती तथा केवल तब वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) रोकने का द्वितीय आदेश प्रभावी किया जाएगा जो द्वितीय दण्ड आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आगे इसी प्रकार जारी रहेगा।

दण्ड के उपाय के रूप में वेतन बैंड में वेतन को कम करना।

43. उच्चतर से निम्नतर पद पर दण्ड के उपाय के रूप में पदावनत या स्थानान्तरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सुनिश्चित जीविका प्रगति को भी वापस ले सकता है या वेतन बैंड में वेतन को किसी स्तर तक कम कर सकता है जिस पर वह उचित समझे। वेतन को कम करने के किसी दण्ड का आदेश करने वाला सक्षम प्राधिकारी–

(i) स्तर जिस पर वेतन बैंड में वेतन नियत किया जाना हैं;

(ii) क्या दण्ड किसी सीमित या स्थायी अवधि के लिए लागू रहेगा; यदि सीमित अवधि हेतु तो स्तर जिस पर वेतन दण्ड अवधि की समाप्ति के बाद नियत किया जाना है, अर्थात् ऐसे वेतन के समान जो अनुज्ञेय होता यदि दण्ड नहीं दिया गया होता या दण्ड से पूर्व लिया गया अन्तिम वेतन;

(iii) क्या सामान्य वेतनवृद्धि(यां) दण्ड की अवधि के दौरान अर्जित की जाएंगी या नहीं की जाएंगी।

निम्नतर पद या वेतनमान में पदावनयन।

44. (क) वृतिमूलक वेतनमान लेते समय–

दण्ड के उपाय के रूप में किसी फीडर पद पर, पदावनयन पर वेतन प्रकल्पित वेतन के समान नियत किया जाएगा–

(i) फीडर पद के वृतिमूलक वेतन बैंड में, जो अनुज्ञेय होता यदि पदोन्नत नहीं होता; या

(ii) फीडर पद के सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान में, एक स्तर नीचे जो अनुज्ञेय होता, यदि उसे पदोन्नत पद के वृतिमूलक वेतन बैंड के समरूप अन्तिम सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान प्रदान नहीं होता।

एक बार वेतन निम्नतर वेतनमान में नियत किया गया है, तो वार्षिक वेतनवृद्धि(यां) सामान्य नियमों के अधीन अनुज्ञेय होंगी। उसी पद पर पदोन्नति द्वारा पुनः नियक्ति पर, उपरोक्त (i) की दशा में, वेतन नियम 19 के अधीन विनियमित किया जाएगा तथा उपरोक्त (ii) की दशा में, पदोन्नत पद के वेतन बैंड में वेतन के नियतन से पूर्व, वेतन सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान

में पुनः नियत किया जाएगा जिस में वेतन निम्नतर पद पर अवनति या वेतनमान का दण्ड देने से पूर्व ले रहा था।

(ख) सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतन लेते समय–

यदि फीडर पद पर अवनति का दण्ड निम्नलिखित में वेतन लेते दौरान दिया गया है –

(i) धारित पद के सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान में; या

(ii) फीडर पद का सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान में किन्तु पदोन्नत/ उच्चतर पद पर कार्यरत,

अन्तिम प्रदान किया सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान स्वतः वापिस लिया गया समझा जाएगा। ऐसे मामलों में, वेतन वृतिमूलक या सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान में प्रकल्पित वेतन के समान नियत किया जाएगा जो अनुज्ञेय होता यदि अन्तिम सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान प्रदान नहीं किया गया होता। उसी पद पर पदोन्नति द्वारा पुनः नियुक्ति पर, पदोन्नत पद के वेतन बैंड में वेतन के नियतन से पूर्व, पहले से वापिस लिया गया अन्तिम सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान प्रदान किया जाएगा तथा उसके बाद पदोन्नत पद का वेतन पुनः नियत किया जाएगा।

दण्ड के सुनिश्चित तथा स्पष्ट आदेश।

45. वेतनवृद्धि रोकने, निम्नतर पद पर अवनति/वेतन बैंड में वेतन के स्तर या सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान को वापस लेने की शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया प्रत्येक आदेश सुनिश्चित तथा स्पष्ट होगा तथा नीचे दिए गए स्वरूप अनुसार होगा :–

"इसलिए यह आदेश किया जाता है कि श्री ..... को संचयी प्रभाव/असंचित प्रभाव से ..... वेतनवृद्धि(यां) रोकने का दण्ड दिया गया है। दण्ड का प्रभाव स्वतः बढ़ जाएगा यदि वह अन्यथा कारणों से प्रथम जुलाई को देय किसी सामान्य वेतनवृद्धि(यों) के लिए अपात्र हो जाता है। दण्ड का प्रभाव जारी रहेगा यदि दण्ड की अवधि के दौरान किसी भी कारण से वेतन बैंड तथा/या ग्रेड वेतन परिवर्तित हो जाता है।"

अथवा

"श्री ..... को दिनांक ..... से ..... तक की अवधि के लिए उसके वेतन बैंड में रुपये ..... से रुपये..... वेतनस्तर में कटौती करने का दण्ड दिया गया है। वह दण्ड की अवधि के दौरान वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित करेगा/नहीं करेगा। आगे, उसका वेतन दण्ड अवधि की समाप्ति के बाद रुपये ..... अर्थात् वेतन जो उसको अनुज्ञेय किया गया होता यदि उसे यह दण्ड नहीं दिया होता/दण्ड से पूर्व पहले से लिए गए वेतन के समान नियत किया जाएगा।"

अथवा

"श्री ..... को सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतन बैंड/ग्रेड वेतन को वापिस लेने का दण्ड दिया गया है तथा वह प्रकल्पित मूल वेतन लेगा जो अनुज्ञेय होता यदि अन्तिम सुनिश्चित जीविका प्रगति प्रदान नहीं किया होता, जिसे ....की अवधि के लिए वापिस लिया जा रहा है।"

अथवा

"श्री ..... को ..... के पद से ..... के पद पर अवनति का दण्ड प्रदान किया गया है। उसका वेतन बैंड में वेतन तथा पद के वेतन बैंड में ग्रेड वेतन जिस पर वह अवनति किया गया है वेतन के समान नियत किया जाएगा जो उसको अनुज्ञेय होता यदि वह पदोन्नत पद पर नियुक्त नहीं किया गया होता।"

वेतन का पुनः नियतन जब दण्ड का कोई आदेश रद्द किया गया है या रूपान्तरित किया गया है।

46. जहां वेतनवृद्धि रोकने, निम्नतर पद/सेवा में अवनति, वेतन में कटौती, सुनिश्चित जीविका प्रगति इत्यादि को वापस लेने की शास्ति के किसी आदेश को अपील या पुनरीक्षिण पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द या रूपान्तरित किया गया है, तो वेतन इन नियमों में दी गई किसी बात के होते भी, निम्नलिखित रीति में विनियमित किया जाएगाः–

(क) यदि उक्त आदेश रद्द किया गया है, तो वेतन के बीच का अन्तर जो अनुज्ञेय होता यदि दण्ड प्रदान नहीं किया गया होता, अवधि के लिए दिया जाएगा जिसमें आदेश लागू रहा;

(ख) यदि उक्त आदेश रूपान्तरित किया गया है, तो वेतन इस प्रकार विनियमित किया जाएगा मानो रूपान्तरित आदेश प्रथम बार किया गया हो।

व्याख्या.– यदि वेतन सक्षम पुनरीक्षिण या अपीली प्राधिकारी के आदेशों के जारी होने से पूर्व किसी अवधि के सम्बन्ध में पुनः नियत किया गया है, तो उस अवधि के दौरान अनुज्ञेय देय तथा प्राप्ति (यात्रा भत्ता से भिन्न), यदि कोई हो, के अन्तर का भुगतान किया जाएगा।

टिप्पण 1.– इस नियम के खण्ड (क) के अधीन आने वाले मामलों के सम्बन्ध में, तिथि, जिसको शास्ति का आदेश सक्षम पुनरीक्षण या अपीली प्राधिकारी द्वारा रद्द किया गया है, से दण्ड प्राधिकारी द्वारा ऐसी शास्ति के अधिरोपण की तिथि से वेतनवृद्धि(यां) रोकने के कारण निम्नतर वेतनमान, पद या वेतन बैंड में वेतन के निम्नतर स्तर पर अर्हक सेवा पद के लिए वेतनवृद्धि में तथा अन्य प्रयोजनों हेतु गिनी जाएगी, जो शास्ति के अधिरोपण या कोई अन्य पद, जो धारित किया गया होगा, से ठीक पूर्व किन्तु शास्ति के आदेश के लिए रोकी गई थी।

टिप्पण 2.– इस नियम के खण्ड (ख) के अधीन आने वाले मामलों के सम्बन्ध में दण्ड प्राधिकारी द्वारा शास्ति के अधिरोपण की तिथि से आदेश पुनरीक्षण या अपील प्राधिकारी द्वारा रूपान्तरित आदेश तक की अवधि को, शास्ति पूर्व पद के लिए वेतनवृद्धि में तथा अन्य प्रयोजनों हेतु अर्हक सेवा माना जाएगा जिस सीमा तक रूपान्तरित आदेश ऐसी संगणना हेतु अनुमति देते हैं।

उदाहरण.– वेतन बैंड–4, रुपये 37400–67,000 में कोई अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए वेतन बैंड–3, रुपये 15600–39100 के पद पर अवनत किया गया है तथा छः मास बाद, वेतन बैंड–3 के निम्नतर पद पर अवनति के दण्ड का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द किया गया है, तो छः मास की अवधि दण्ड से पूर्व रोके गए वेतन बैंड–4 के पद के वेतन में वेतनवृद्धि हेतु गिनी जाएगी। यदि दूसरी तरफ, शास्ति का आदेश विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निम्नतर वेतनमान में कटौती करने या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उस वेतन बैंड में वेतनवृद्धि को रोकने के रूप में रूपान्तरित किया गया है, तो अवधि, जो मूल शास्ति के अधिरोपण की तिथि से पहले ही समाप्त हो गई है, केवल रूपान्तरित आदेश के अधीन शास्ति की विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली जाएगी।

टिप्पण 3.– दण्ड के उपाय के रूप में निम्नतर पद/सेवा से अवनत किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा रिक्त किया गया कोई पद, अधिष्ठाई रूप से ऐसे अवनति की तिथि से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक नहीं भरा जाएगा। जहां एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, पद भरा जाता है तथा पद का मूल पदधारी उसके बाद बहाल किया जाता है, तो वह ऐसे पद पर समायोजित किया जाएगा जो उस ग्रेड, जिससे उसका पूर्व पद संबंधित था, में रिक्त हो। यदि कोई भी ऐसा पद रिक्त नहीं है, तो वह अधिसंख्य या अस्थायी पद पर समायोजित किया जाएगा जो उचित स्वीकृति से इस ग्रेड में सृजित किया जाएगा तथा इस प्रतिबंध के साथ कि यह उस ग्रेड में प्रथम रिक्ति के होने पर समाप्त हो जाएगा।

अध्याय–X

ठीक नीचे नियम

ठीक नीचे नियम।

47. (1) सामान्य अनुक्रम से बाहर कार्यरत कोई सरकारी कर्मचारी को अर्थात उसी या किसी अन्य विभाग में बाह्य संवर्ग पद पर या भारत के भीतर या बाहर प्रतिनियुक्ति/ विदेश सेवा पर, पदोन्नत पद के वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन में प्रोफार्मा स्थानापन पदोन्नति सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाएगी, यदि वह अन्यथा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उसके लिए उपयुक्त है:–

(क) उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया है। यदि ठीक कनिष्ठ पदोन्नति के लिए अपात्र है, तो अगला कनिष्ठ पदोन्नत किया गया है। ऐसे मामले में यह लाभ उस तिथि से, जिससे उसका कनिष्ठ पदोन्नत किया गया है, अनुज्ञेय होगा;

(ख) यदि कोई भी कनिष्ठ पदोन्नति के लिए पात्र नहीं है व पद कनिष्ठ की पात्रता की कमी के कारण रिक्त रखा गया है ऐसे मामले में, यह लाभ प्रोफार्मा पदोन्नति हेतु सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तिथि से अनुज्ञेय होगा;

(ग) वह उस संगठन द्वारा जहां वह कार्यरत है पदोन्नत पद के वेतनमान के समरूप किसी पद पर समायोजित किया जाएगा जो नियमित अनुक्रम के बाहर है; तथा

(घ) सरकारी कर्मचारी से ज्येष्ठ सभी सरकारी कर्मचारी, जिसको इस नियम के अधीन लाभ अनुज्ञात किया जाना है, समान या उच्चतर वेतन बैंड तथा/या ग्रेड वेतन में स्थानापन्न वेतन ले रहे हों जब तक वे अयोग्यता या अनुपयुक्तता इत्यादि के कारण छोड़ नहीं दिए जाते।

(2) इस नियम का आशय सेवा के नियमित अनुक्रम के बाहर या विदेश सेवा पर कार्य कर रहे किसी सरकारी कर्मचारी के साथ–साथ लोक हित संरक्षित करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संवर्ग के भीतर रिक्ति को भरा जाना है तथा उसके नियमित अनुक्रम के बाहर गए किसी सरकारी कर्मचारी के हित को भी संरक्षित करना है, एक के लिए एक सिद्धांत उपरोक्त वर्णित शर्तों के अध्यधीन कर्त्तव्यों में किसी पदोन्नति हेतु अपनाया जाएगा।

(3) नियमित अनुक्रम से बाहर गया सरकारी कर्मचारी ठीक नीचे नियम के अधीन लाभ के लिए पात्र नहीं होगा, यदि कोई कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी असाधारण परिस्थितियों में पदोन्नत किया गया है, अर्थात् उत्कृष्ट उपलब्धियों के इनाम के रूप में पदोन्नति तथा/या कोई अन्य वैयक्तिक मूल्यांकन की अवस्था में।

ठीक नीचे नियम के अधीन एक के लिए एक सिद्धान्त।

48. उन मामलों में, जहां किसी संवर्ग में दो या उससे अधिक कर्मचारियों की कोई क्रमिक श्रेणी नियमित अनुक्रम के बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर हैं, तथा उनके ठीक नीचे का कर्मचारी संवर्ग में किसी उच्चतर पद में स्थानापन्न पर पदोन्नत किया गया है। ऐसे मामलों में, केवल एक कर्मचारी अर्थात् पदोन्नति के लिए पात्र ज्येष्ठतम कर्मचारी को ठीक नीचे नियम के अधीन लाभ अनुज्ञात किया जाएगा।

जब ज्येष्ठतम कर्मचारी को ठीक नीचे नियम के अधीन लाभ अपेक्षित नहीं।

49. यदि नियमित अनुक्रम के बाहर सेवा कर रहे ज्येष्ठतम कर्मचारी को ठीक नीचे नियम के अधीन संरक्षित किए जाने की जरूरत न हो तथा वह पहले ही मूल संवर्ग के पदोन्नत पद के समरूप या उससे उच्चतर वेतनमान ले रहे किसी पद को धारण कर रहा है, और वापसी पर नियमित अनुक्रम में उच्चतर पद के वेतन तथा वेतनवृद्धि लाभों के लिए पात्र है, ऐसे मामलों में, नियमित अनुक्रम में होने वाली किसी एक रिक्ति के संबंध में संवर्ग के बाहर कार्य कर रहे श्रृंखला के अगले ज्येष्ठतम पात्र कर्मचारी को ठीक नीचे नियम के अधीन संरक्षण दिया जाएगा।

ठीक नीचे नियम के अधीन प्रोफार्मा पदोन्नति पर वेतन का नियतन।

50. ठीक नीचे नियम के अधीन प्रदान लाभ के अन्तर्गत अनुक्रम के बाहर कोई सरकारी कर्मचारी वेतन की उच्चतर दर लेने के लिए हकदार है, जिसके लिए वह हकदार होता यदि वह अपने नियमित अनुक्रम में होता। आगे, प्रोफार्मा पदोन्नति की तिथि से अर्हक सेवा की अवधि, मूल संवर्ग में वापसी पर वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए गिनी जाएगी।

ठीक नीचे नियम के अधीन सुनिश्चित जीविका प्रगति का लाभ।

51. ठीक नीचे नियम का लाभ हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियम के अधीन पात्रता के अध्यधीन सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतन बैंड तथा/या सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान प्रदान करने के संबंध में भी लागू होगा।

अध्याय–XI

सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजन पर वेतन का नियतन

सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजन पर वेतन का नियतन।

52. (1) कोई भी सरकारी कर्मचारी हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन में पुनः नियोजित होने तथा वेतन के अतिरिक्त पेंशन पाने के उददेश्य से अधिवर्षिता की आयु पूरी करने से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्ति नहीं होगा। तथापि, अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर या उससे पूर्व, सेवानिवृत्ति के बाद, सीधी भर्ती या अन्यथा के रूप में नियुक्ति इन नियमों के प्रयोजन के लिए पुनः नियोजन के रूप में समझी जाएगी।

(2) वेतन बैंड के किसी पद पर पेंशनर के पुनः नियोजन पर (55 वर्ष की आयु उपरान्त सेवानिवृत्त सैनिक पेंशनर सहित)–

(क) अन्तिम धारित वेतन बैंड के समरूप अथवा पुनः नियोजित पद के प्रवेश स्तर वेतन, ग्रेड वेतन छोड़ कर, जो भी अधिक है, से पेंशन (पेंशन के सारांशित भाग सहित) घटा कर वेतन नियत किया जाएगा।

(ख) यदि पुनः नियोजित पद के वेतन बैंड का अधिकतम अन्तिम धारित बैंड वेतन से निम्नतर है तो वेतन पेंशन घटा कर (पेंशन के सारांशित भाग सहित), 'वेतन बैंड में अन्तिम ले रहे वेतन' (ग्रेड वेतन छोड़ कर) या पुनः नियोजित पद के वेतन बैंड का अधिकतम, जो भी कम है, के समान नियत किया जाएगाः

परन्तु उपरोक्त नियत वेतन बैंड में वेतन जमा पेंशन निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा–

(क) रुपये 67,000 यदि वेतन बैंड–4 तक किसी पद पर नियुक्त; या

(ख) रुपये 79,000 यदि उच्च प्रशासनिक ग्रेड में किसी पद पर नियुक्त।

पुनः नियोजित पद का ग्रेड वेतन इसके अतिरिक्त अनुज्ञेय होगा। नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी स्तर पर वेतन नियत करने में सक्षम होगा किन्तु इस नियम में अनुज्ञेय वेतन से अधिक नहीं।

टिप्पण 1.– सेवानिवृत्ति उपदान (अर्थात् पी.ई.जी.) इस नियम के प्रयोजन के लिए पेंशन का भाग नहीं होगा।

(3) वेतनवृद्धि पुनः नियोजित पद पर न्यूनतम छः मास की अर्हक सेवा पूरी होने के अध्यधीन प्रथम जुलाई को अनुज्ञेय होगी। 3 प्रतिशत की दर से सामान्य वेतनवृद्धि की संगणना करते समय वेतन की सम्पूर्ण राशि को (अर्थात् पेंशन के गैर–अस्वीकार्य भाग की कटौती करने से पूर्व अनुज्ञात वेतन बैंड में वेतन जमा पुनः नियोजित पद का ग्रेड वेतन) हिसाब में लिया जाएगा।

उदाहरण 1.– श्री 'क' वेतन बैंड–2 में वेतन 20,000/– रुपये जमा ग्रेड वेतन 4,800 लेते समय अधिवार्षिता की आयु पूरी होने पर सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था। उसकी पेंशन के सारांशित भाग सहित पेंशन प्रति मास 12,400 रुपये नियत की गई थी। वह उच्चतर वेतन बैंड, वेतन बैंड–3, 15,600–39,100 जमा ग्रेड वेतन 5,400 के किसी पद पर लोक हित में पुनः नियोजित किया गया है। उसका वेतन 20,000 रुपये घटा 12,400 अर्थात् 7,600 रुपये + ग्रेड वेतन 5,400 रुपये तक नियत किया जाएगा।

उदाहरण 2.– श्री 'ख' वेतन बैंड–4 में 44,500 रुपये जमा ग्रेड वेतन 9,500 रुपये वेतन प्राप्त करते समय अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था। पेंशन के सारांशित भाग सहित उसकी पेंशन प्रति मास 27,000 रुपये नियत की गई थी। वह समरूप वेतन बैंड किन्तु ग्रेड वेतन 8,700 के किसी पद पर लोक हित में पुनः नियोजित किया गया है। उसका वेतन 44,500 रुपये घटा 27,000 रुपये अर्थात् 17,500 रुपये + ग्रेड वेतन 8,700 रुपये तक नियत किया जाएगा।

उदाहरण 3.– श्री 'एक्स' अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के बाद पुनः नियोजित किया गया है। उसका लिया जा रहा अन्तिम वेतन रुपये 53,700 (अर्थात् वेतन बैंड–4 में वेतन 45,000 रुपये जमा ग्रेड वेतन 8,700 था तथा उसकी मूल पेंशन 26,850 रुपये नियत की गई थी। वह वेतन बैंड–3 जमा ग्रेड वेतन 7,600 के किसी पद पर पुनः नियोजित किया गया है। उसका वेतन, वेतन बैंड–3, के अधिकतम 39,100 घटा पेंशन 26,850 = 12,250 जमा ग्रेड वेतन 7,600 रुपये तक नियत किया जाएगा।

55 वर्ष से पूर्व पुनः नियोजन पर सैनिक पेंशनर के वेतन का नियतन।

53. 55 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व सैनिक पेंशनर सिविल सेवा में पुनः नियोजन पर, सैनिक पेंशनरों के वेतन के नियतन के समय पर–

(i) प्रमाणित अधिकारी से नीचे के मामलों में, सम्पूर्ण सैनिक पेंशन की उपेक्षा की जाएगी तथा उनका वेतन पुनः नियोजित पद के प्रवेश स्तर वेतन के समान नियत किया

जाएगा; तथा

(ii) प्रमाणित अधिकारियों के मामलों मे उनकी सैनिक पेंशन के प्रथम 4000 रुपये वेतन नियतन के प्रयोजन के लिए उपेक्षित किए जाएंगे। शेष प्रावधान उपरोक्त नियम 52 का लागू होगा।

अशक्तता पेंशनर या प्रतिकर पेंशनर के वेतन का नियतन।

54. केवल हरियाणा सरकार के अशक्तता पेंशनर या प्रतिकर पेंशनर की पश्चात्वर्ती नियुक्ति या पुनः नियोजन पर, हरियाणा सरकार के किसी विभाग में समरूप या उच्चतर वेतन ढांचे में की गई पूर्व अर्हक सेवा का लाभ पुनः नियोजन पद के वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि में अनुज्ञेय होगा।

कोई कर्मचारी, जो वेतनमानों के पुनरीक्षण से पूर्व सेवानिवृत्त हुआ है तथा उसके बाद पुनः नियोजित किया गया है, के वेतन का नियतन।

55. वेतनमानों के पुनरीक्षिण से पूर्व सेवानिवृत्त पुनः नियोजित पेंशनर का वेतन अप्रयोगमूलक रूप में अपुनरीक्षित से पुनरीक्षित वेतनमान में नियत किया जाएगा मानो वह पुनरीक्षित वेतनमान के अधीन सेवानिवृत्त हुआ था। वह उन कर्मचारियों के लिए विहित फिटमेन्ट तालिका के सन्दर्भ में किया जाएगा जो वास्तव में वेतनमानों के पुनरीक्षण की तिथि को सेवा में थे। उसके बाद इसे उसका अन्तिम वेतन समझते हुए पुनः नियोजित पद का वेतन, नियम 52 में उपबंध के अनुसार नियत किया जाएगा। ऐसे मामले में, पुनरीक्षित पेंशन, पुनरीक्षित वेतनमान में पुनः नियोजित पद का वेतन नियत करते समय हिसाब में ली जाएगी।

अंशदान भविष्य निधि के लाभ सहित सेवानिवृत्त किसी कर्मचारी के पुनः नियोजन पर वेतन का नियतन।

56. किसी व्यक्ति के वेतन के नियतन के लिए जिसने सेवानिवृत्ति के समय पर अंशदान भविष्य निधि का लाभ लिया है और किसी विभाग में पुनः नियोजित किया गया है, तो पदधारी के लेखे में नियोजक द्वारा किया गया अंशदान ब्याज सहित संगणित किया जाएगा तथा उसके बाद अंशदान भविष्य निधि के समकक्ष पेंशन निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार सारांशीकरण तालिका के आधार पर संगणित की जाएगीः–

अ =	(क + पेंशन, यदि कोइ हो) ÷ (ख x 12)
अ का अर्थ	अंशदान भविष्य निधि के समकक्ष पेंशन की राशि जमा वास्तविक पेंशन, यदि कोई हो, है।
क का अर्थ	अंशदान भविष्य निधि के नियोक्ता के हिस्से तथा उस पर ब्याज की कुल राशि है।
ख का अर्थ	सेवानिवृत्ति के बाद अगले जन्म दिन पर सुसंगत आयु पर सारांशीकरण तालिका से अभिनिश्चित की जाने वाली सारांशीकरण मूल्यांकन की राशि है।

टिप्पण 1.– अंशदान भविष्य निधि में नियोक्ता के हिस्से की राशि संगणित करते समय, सेवानिवृत्ति के समय पदधारी द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक राशि दृष्टिगत नहीं की जाएगी क्योंकि वह प्रत्यर्पणीय/अप्रत्यर्पणीय अग्रिमों के कारण कम हो सकती है।

'अ' के रूप में उपरोक्त संगणित आंकड़े ऐसे पुनः नियोजित व्यक्ति के वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिए पेंशन के रूप में समझे जाएंगे। वेतन के नियतन के लिए फार्मूला उपरोक्त नियम 52 में यथा उपबंधित के समरूप होगा।

टिप्पण 2.– परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के बाद पुनःनियोजन पर भी यह प्रावधान लागू होगा ।

अध्याय–XII

ज्येष्ठ सरकारी कर्मचारी के वेतन की वर्द्धिका

दृष्टांत जहां ज्येष्ठ के वेतन की वर्द्धिका अनुज्ञेय नहीं है।

57. नीचे सूचीबद्ध दृष्टांतों में, वेतन की वर्द्धिका अनुज्ञेय नहीं होगी यदि कोई कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी उससे ज्येष्ठ सरकारी कर्मचारी से अधिक वेतन ले रहा है :–

(क) जहां ज्येष्ठ असाधारण अवकाश पर है जिसके परिणामस्वरूप अगली वेतनवृद्धि की तिथि के स्थगन फलस्वरूप वह स्वयं निम्नतर ग्रेड में अपने कनिष्ठ से कम वेतन लेना शुरू करता है। इसलिए, ऐसे मामले में ज्येष्ठ पदोन्नति पर वेतन बराबरी का दावा नहीं कर सकता है यद्यपि वह उच्चतर वेतनमान में पहले पदोन्नत किया गया है;

(ख) यदि कोई ज्येष्ठ पदोन्नति छोड़ता है/इन्कार करता है उससे कनिष्ठ को पहले उच्चतर पद पर पदोन्नत/नियुक्त किए जाने पर कनिष्ठ ज्येष्ठ से उच्चतर वेतन लेता है;

(ग) यदि ज्येष्ठ किन्हीं भी कारणों से कनिष्ठ के बाद उच्चतर पद पर पदग्रहण करता है, जिससे वह अपने कनिष्ठ से कम वेतन लेता है। ऐसे मामलों में, ज्येष्ठ कनिष्ठ के साथ सम–मूल्य पर वेतन की बराबरी का दावा नहीं कर सकता है, अर्थात् एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति पर कनिष्ठ प्रथम जनवरी को पदग्रहण करता है तथा ज्येष्ठ 2 जनवरी को या उसके बाद पद ग्रहण करता है, तो कनिष्ठ का वेतन ज्येष्ठ से अधिक होगा;

(घ) यदि ज्येष्ठ ने फीडर पद में कनिष्ठ के बाद प्रवेश किया है जिससे वह अपने कनिष्ठ से कम वेतन प्राप्त करता है, ऐसे मामलों में भी, ज्येष्ठ उच्चतर पद में बराबरी वेतन का दावा नहीं करेगा यद्यपि वह उच्चतर पद पर पहले पदोन्नत किया गया हो;

(ङ) जहां कोई व्यक्ति निम्नतर से उच्चतर पद पदोन्नत किया जाता है, उसका वेतन नियम 13 के अधीन निम्नतर पद पर ले रहे वेतन के सम्बन्ध में नियत किया जाता है, फलतः उसे सीधी नियुक्ति से नियुक्त किए गए व्यक्ति से अधिक वेतन मिलने की सम्भावना है जिसका वेतन विभिन्न नियमों के अधीन नियत किया गया है। उदाहरणार्थ एक कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति पर कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के पद पर ले रहे वेतन के सन्दर्भ में नियम 13 के अधीन नियत किया गया वेतन प्राप्त करता है, जबकि सीधी भर्ती वाले एक वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक का वेतन नियम 9 के अधीन नियत किया गया है। ऐसे मामलों में, सीधी भर्ती से नियुक्त वरिष्ठ निम्नतर पद से उच्चतर पद पर पदोन्नत कनिष्ठ के साथ बराबरी के वेतन का दावा नहीं कर सकता, केवल ज्येष्ठता के रूप में वर्द्धिका अनुज्ञात करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है।

(च) जहां कोई कनिष्ठ सेवाकाल की लम्बाई के कारण किसी विभाग में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, आधिक्य या अन्यथा घोषित किए जाने के बाद समायोजन से अपने वरिष्ठ से अधिक वेतन लेता है।

(छ) जहां समय–समय पर पुनरीक्षित या रूपान्तरित वेतन बैंड में वेतन के नियतन के लिए विकल्प की विभिन्न तिथि (तिथियों) के कारण कोई वरिष्ठ अपने कनिष्ठ से कम वेतन लेता है।

(ज) जहां कोई वरिष्ठ एक पद से दूसरे पर पदोन्नति पर या सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान/वेतन बैंड के प्रदान करने पर वेतन के नियतन के लिए विकल्प की विभिन्न तिथि (तिथियों) के कारण कनिष्ठ से कम वेतन लेता है।

(झ) यदि कोई वरिष्ठ जिसे वेतन की कटौती या संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) इत्यादि को रोकने का कोई दण्ड दिया गया है तथा कनिष्ठ से कम वेतन ले रहा है।

(ञ) यदि कोई वरिष्ठ, जिसे निलम्बनाधीन रखा गया था तथा निलम्बन की अवधि गैर–डयूटी के रूप में समझी गई है, अपने कनिष्ठ से कम वेतन ले रहा है; तथा

(ट) जहां कोई कनिष्ठ उच्चतर योग्यताओं को अर्जित करने पर या किसी वैयक्तिक उपाय या अन्यथा से उसको दी गई अतिरिक्त वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) के कारण अपने वरिष्ठ से अधिक वेतन लेता है।

दृष्टांत जहां वरिष्ठ को वेतन की वर्द्धिका अनुज्ञेय है।

58. कनिष्ठ तथा वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी के बीच किसी विषमता की दशा में, जो नियम 57 में यथा अधिकथित दृष्टांतों की सूची में नहीं आता है तथा नीचे दी गई शर्तों को पूरा करता है, तो विचारण के लिए प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को नियम 59 के अधीन आवश्यक दस्तावेज़ों सहित भेजा जाएगाः–

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ दोनों सरकारी कर्मचारी उसी संवर्ग से संबंध रखते हैं तथा पद जिन पर वे पदोन्नत या नियुक्त किए गए हैं समरूप तथा उसी संवर्ग में हैं;

(ख) निम्नतर तथा उच्च्तर दोनों पदों के वेतनमान जिसमें कनिष्ठ तथा वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी वेतन लेने के लिए हकदार हैं समरूप हैं;

(ग) विषमता प्रयक्षतः इन नियमों के लागू होने के परिणाम स्वरूप है।

वेतन की वर्द्धिका हेतु सक्षम प्राधिकारी को मामला भेजने के लिए पूर्वापेक्षा।

59. वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी जो अपने कनिष्ठ से कम वेतन ले रहा है, के वेतन की वर्द्धिका हेतु मामला वित्त विभाग में भेजने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों/दस्तावेजों की अपेक्षा की जाती हैः—

(i) वर्द्धिका के अनुरोध हेतु मूल कारण;

(ii) क्या नियम 58 में उपबंध के निबंधनों के अनुसार वर्द्धिका प्रस्ताव सभी शर्तों को पूरा करता है; यदि नहीं; तो किस शर्त को पूरा नहीं करता।

(iii) वरिष्ठ तथा कनिष्ठ के पदोन्नति आदेशों की प्रति;

(iv) दोनों कर्मचारियों की सेवा ग्रहण करने की तिथि से तुलनात्मक वेतन नियतन विवरणियां;

(v) क्या पदोन्नति नियमित आधार पर या काम चलाऊ प्रबन्ध है;

(vi) क्या वरिष्ठ तथा कनिष्ठ एक ही संवर्ग से संबंधित हैं;

(vii) क्या दोनों कर्मचारियों के निम्नतर तथा उच्चतर पदों के वेतनमान समरूप हैं;

(viii) विषमता के कारण या कोई अन्य कारण विनिर्दिष्ट करें;

(ix) नियमों/अनुदेशों के संबंध में इस बिन्दु पर विभाग के लेखा कार्मिक की विशिष्ट राय,

टिप्पण.— यदि मामला वित्त विभाग को भेजा जाना है, तो उसे विभाग के प्रशासकीय सचिव के विचार/राय के साथ भेजा जाएगा।

अध्याय–XIII

न्यायिक अधिकारियों के वेतन का नियतन

न्याायिक अधिकारियों के वेतन का नियतन।

60. इस अध्याय के उपबंध प्रथम नियुक्ति या एक पद से दूसरे पर नियुक्ति पर न्यायिक अधिकारियों के वेतन के नियतन के लिए उनको लागू होंगे :–

न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान.–

प्रथम जनवरी, 2006 से न्यायिक अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमान निम्नानुसार हैं:–

क्रम संख्या	31 दिसम्बर, 2005 को वृतिमूलक वेतनमान	प्रथम जनवरी, 2006 को वृतिमूलक वेतनमान	प्रथम जनवरी, 2006 को प्रथम सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान	प्रथम जनवरी, 2006 को द्वितीय सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान
1	2	3	4	5
1. सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन)				
1.	रुपये 9000–250–10750–300–13150–350–14550	रुपये 27700–770–33090–920–40450–1080–44770	रुपये 33090–920–40450–1080– 45850 (पांच वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के बाद)	रुपये 39530–920–40450–1080–43090–1230–54010 (प्रथम सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान के प्रदान करने के दूसरे पांच वर्ष के बाद)
2. सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन)				
2.	रुपये 12850–300–13150–350–15950–400–17550	रुपये 39530–920–40450–1080–43090–1230–54010	रुपये 43690–1080–49090–1230– 56470 (सिनियर डिविजन में नियोजन के बाद नियमित पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद)	रुपये 51550–1230–58930–1380–63070 (प्रथम सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान प्रदान करने के दूसरे पांच वर्ष के बाद)
3. जिला न्यायाधीश		**वृतिमूलक वेतनमान**	**सलैक्शन ग्रेड**	**सुपर टाईम वेतनमान**
3.	31 दिसम्बर, 2005 को वेतनमान	रुपये 16750–400–19150–450–20500	रुपये 18750–400–19150–450–21850–500–22850 (उपयुक्तता के अध्यधीन संवर्ग में पांच वर्ष की सेवा सहित पदों के 25 प्रतिशत हेतु)	रुपये 22850–500– 24850 (सलैक्शन ग्रेड में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा सहित जिला न्यायाधीश के रूप में संवर्ग में पदों के 10 प्रतिशत हेतु)
4.	प्रथम जनवरी, 2006 को वेतनमान	रुपये 51550–1230–58930–1380–63070	रुपये 57700–1230–58930–1380–67210–1540– 70290 (उपयुक्तता के अध्यधीन संवर्ग में पांच वर्ष की सेवा सहित पदों के 25 प्रतिशत हेतु)	रुपये 70290–1540–76450 (सलेक्शन ग्रेड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा सहित जिला न्यायाधीश के रूप में पदों के 10 प्रतिशत हेतु)

पदोन्नति पर वेतन का नियतन।

61. उच्चतर वेतन ढांचे के एक पद से दूसरे पर किसी न्यायिक अधिकारी की पदोन्नति पर, वेतन अगले ऊपरी स्तर पर या पदोन्नत पद के न्यूनतम वेतनमान, जो भी उच्चतर हो, पर नियत किया जाएगा।

सुनिश्चित जीविका प्रगति प्रदान करने पर वेतन का नियतन।

62. किसी न्यायिक अधिकारी को सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान प्रदान करने पर, वेतन अगले ऊपरी स्तर या सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान के न्यूनतम, जो भी उच्चतर हो, पर नियत किया जाएगा।

सलेक्शन ग्रेड या सुपर टाईम वेतनमान के प्रदान करने पर वेतन का नियतन।

63. सलेक्शन ग्रेड या सुपर टाईम वेतनमान प्रदान करने पर, न्यायिक अधिकारी का वेतन अगले ऊपरी स्तर या सलेक्शन ग्रेड अथवा सुपरटाईम वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, जो भी उच्चतर हो, पर नियत किया जाएगा।

सुनिश्चित जीविका प्रगति लेते समय पदोन्नति पर वेतन का नियतन।

64. सुनिश्चित जीविका प्रगति लेते समय पदोन्नति पर, अगले ऊपरी स्तर का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा किन्तु वेतन पदोन्नति पद के वृतिमूलक वेतनमान के न्यूनतम से कम नियत नहीं किया जाएगा।

वेतनवृद्धि।

65. वेतनवृद्धि मास की प्रथम तिथि को अनुज्ञेय होगी, जिस में यह देय है। किन्तु कोई अधिकारी, जो स्थिर स्तर पर पहुंचता है, किसी विशेष संवर्ग में पांच से अनाधिक ऐसी वेतनवृद्धियों के अध्यधीन मास्टर वेतनमान में द्वैवार्षिक स्थिर वेतनवृद्धि (यों) के लिए पात्र होगा।

अध्याय–XIV

विविध

वेतन नियतन के लिए सक्षम प्राधिकारी।

66. इन नियमों में विशेष रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, विभागाध्यक्ष या नियुक्ति प्राधिकारी, जो भी निम्नतर हो, इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय स्तर तक किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन नियत करने के लिए सक्षम है। कोई भी प्राधिकारी वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय वेतन से अधिक या कम वेतन नियत करने के लिए सक्षम नहीं है। तथापि, किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के अधीन दण्ड प्राधिकारी द्वारा घटाया जा सकता है।

टिप्पण.– सम्बद्ध विभागाध्यक्ष या नियुक्ति प्राधिकारी अपने स्वयं के सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पर तथा राज्य लेखा सेवाऐं के अधिकारी से वेतन के सत्यापन की शर्त तथा निर्बन्धन जैसे वे अधिरोपित करने के लिए संभव हों, के अध्यधीन उनके अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को शक्तियां पुनः प्रत्यायोजित कर सकता है।

प्रवेश स्तर वेतन से ऊपर वेतन का नियतन।

67. जहां हरियाणा लोक सेवा आयोग/हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रवेश स्तर वेतन से उच्चतर वेतन की सिफारिश करता है, ऐसे मामले में, वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व प्राप्त किया जाएगा।

वेतन तथा भत्तों की संगणना की तिथि।

68. इन नियमों में विशेष रूप से उपबंधित किन्हीं अपवादों के अध्यधीन, कोई सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित दिन से किसी पद के वेतन तथा भत्तों के लिए हकदार होगा या हकदार नहीं रहेगाः–

(क) उसी दिन से, जिस दिन वह दोपहर से पूर्व कार्य ग्रहण करता है या प्रभार छोड़ता है; या

(ख) अगले दिन से, जिस दिन वह दोपहर के बाद कार्य ग्रहण करता है या प्रभार छोड़ता है।

इन नियमों के अधीन ड्यूटी के रूप में समझी गई अवधि के दौरान वेतन।

69. (क) इन नियमों या किन्हीं अन्य नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई सरकारी कर्मचारी, हरियाणा सिविल सेवा नियमों के अधीन ड्यूटी के रूप में समझी गई प्रशिक्षण अवधि, अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि या सेवा की किसी अन्य अवधि के दौरान ग्रेड वेतन/उच्चतर वेतनमान के बदले में विशेष वेतन सहित, यदि कोई हो, मूल वेतन के समान, जो उसे समय–समय पर अनुज्ञेय होता यदि वह वास्तव में ड्यूटी पर होता, मूल वेतन प्राप्त करेगा।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा ड्यूटी के रूप में समझी अनुपस्थिति की किसी अन्य अवधि के संबंध में (अर्थात् निलम्बन या अन्यथा अवधि) किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसा वेतन प्रदान किया जाएगा जैसा सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञात करे किन्तु किसी भी मामले में उतने वेतन से अधिक नहीं जो उसे अनुज्ञेय होता यदि वह वास्तव में ड्यूटी पर होता।

परिवीक्षक के रूप में या परिवीक्षा पर नियुक्ति की दशा में वेतन का नियतन।

70. पदोन्नति, सीधी भर्ती या अन्यथा द्वारा 'परिवीक्षक' के रूप में या 'परिवीक्षा पर' एक पद से दूसरे पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर, वेतन सामान्य नियमों के अधीन, जैसे पदोन्नति, पश्चात्वर्ती नियुक्ति या अन्यथा, जैसी भी स्थिति हो, नियत किया जाएगा।

वेतन नियतन के प्रयोजन के लिए सेवा से त्यागपत्र का उपचार।

71. सीधी भर्ती या अन्यथा द्वारा हरियाणा सरकार के किसी विभाग में एक पद से दूसरे पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर, सेवा से त्यागपत्र वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिए तकनीकी औपचारिकता होगी बशर्ते कि आवेदन ऐसे पद के लिए उचित प्रणाली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पदग्रहण काल तक सीमित ब्रेक की अवधि, यदि कोई हो, अनदेखी की जा सकती है। वेतन नियम 10 या 11, जैसी भी स्थिति हो, में उपबंध के अनुसार नियत किया जाएगा।

टिप्पण.– त्यागपत्र वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिए भी तकनीकी औचारिकता के रूप में समझा जाएगा, यदि सरकारी कर्मचारी उस समय, जब पश्चात्वर्ती नियुक्ति के लिए आवेदन उस द्वारा सीधे रूप से प्रस्तुत किया गया था, सेवा में नहीं था।

सेवा समाप्ति के बाद पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर वेतन का विनियमन।

72. पूर्ण रूप से अस्थायी आधार सहित तदर्थ आधार पर कार्य करते समय या जहां सेवाएं निम्नलिखित के कारण विहित वेतन में वेतन लेते समय समाप्त या सेवा मुक्त की गई है,

हरियाणा सरकार के अधीन उसी या किसी अन्य विभाग में उसी पद पर या समान या उच्चतर वेतनमान के पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर–

(i) पद के समापन; या

(ii) सेवामुक्त किए गए कर्मचारी द्वारा धारित पद पर कर्मचारी चयन आयोग या किसी अनुमोदित एजेन्सी द्वारा चयनित किसी उम्मीदवार द्वारा नियोजन,

तो वेतन नियम 10 या 11, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन नियत किया जाएगा बशर्ते कि कोई भी पेंशनरी लाभ सेवा से समापन/मुक्ति के समय पर पूर्व सेवा का नहीं लिया गया है तथा आवेदन उचित प्रणाली द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

टिप्पण 1.– उपरोक्त प्रावधान वहां भी लागू होगा जहां पश्चात्वर्ती नियुक्ति के लिए आवेदन, जब पदधारी सेवा में नहीं था के समय पर सीधे रूप से प्रस्तुत किया गया है।

टिप्पण 2.– तदर्थ सेवा तथा नियमित आधार पर नियुक्ति के समापन के बीच, ब्रेक की अवधि, यदि कोई हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा माफ की जाएगीः–

(i) बाधा सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर कारणों द्वारा हुई है;

(ii) बाधा से पूर्व की सेवा दो वर्ष की अवधि से कम की नहीं है; तथा

(iii) बाधा एक वर्ष से अधिक की अवधि की नहीं है।

टिप्पण 3.– यह प्रावधान दण्ड के उपाय के रूप में सेवा से हटाए जाने के बाद पुनः नियोजन पर लागू नहीं होगा।

पुनरीक्षण तथा/या रूपान्तरण से पूर्व निलम्बन की दशा में वेतन का नियतन किन्तु वेतनमान के पुनरीक्षण/ रूपान्तरण के बाद सेवानिवृत्ति।

73. वेतनमान के पुनरीक्षण तथा/या रूपान्तरण से पूर्व निलम्बनाधीन रखा गया तथा वेतनमान के पुनरीक्षण तथा/या रूपान्तरण के बाद निलम्बनाधीन के समय सेवा से सेवानिवृत्त कोई सरकारी कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान में वास्तव वेतन के लिए हकदार नहीं होगा। तथापि, वेतन निलम्बन की तिथि से पूर्व–पुनरीक्षित वेतनमान में वास्तविक रूप में लिए जा रहे वेतन के संबंध में पूर्व–पुनरीक्षित से पुनरीक्षित तथा/या रूपान्तरित वेतनमान में अप्रयोगमूलक रूप से नियत किया जाएगा, तथा यह सेवानिवृत्ति लाभ, यदि कोई हो, की संगणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा जब तक निलम्बन अवधि पर अन्तिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं लिया जाता है।

हरियाणा सरकार के अधीन किसी संगठन से किसी विभाग में नियुक्ति या विपर्ययेन।

74. उच्चतर, समान या निम्नतर वेतनमान के पद पर हरियाणा सरकार के किसी विभाग में हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन से प्रतिनियुक्ति पर, वेतन नियम 10 या 11, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन नियत किया जाएगा। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को लागू समय–समय पर जारी नियमों/अनुदेशों से अधिक पूर्व संगठन द्वारा प्रदान किया गया कोई असाधारण लाभ (अतिरिक्त वेतनवृद्धियों, वैयक्तिक वेतन इत्यादि के रूप में) को जारी रखा जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा तथा वह वेतन नियतन के समय पर छोड़ दिया जाएगा।

समरूप या उच्चतर वेतनमान के एक या अधिक पदों के प्रभार पर वेतन।

75. नियुक्ति पर, किसी अस्थायी उपाय के रूप में सामान्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त, उसी विभाग में तथा पदोन्नति के समान संवर्ग/अनुक्रम में समरूप या उच्चतर वेतन ढांचे के एक या अधिक पदों के कर्त्तव्यों का सम्पूर्ण प्रभार धारण करने के लिए, कोई भी अतिरिक्त या उच्चतर वेतन अनुज्ञेय नहीं होगा। तथापि, कठिन स्वरूप कर्त्तव्यों का विशेष वेतन तथा /या ऐसे पद (पदों) से संलग्न प्रतिकर भत्ता (भत्ते) यदि कोई हो, अनुज्ञेय होगा।

सामयिक ड्यूटी प्रभार पर वेतन का नियतन।

76. कोई भी अतिरिक्त वेतन स्वतन्त्र रूप से या स्वयं के कर्त्तव्यों के अतिरिक्त, अवधि के अनपेक्ष समान या उच्चतर ग्रेड वेतन के दूसरे पद (पदों) के सामयिक ड्यूटी प्रभार धारण करने के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा।

टिप्पण.– दूसरे पद (पदों) के कर्त्तव्यों का सामयिक प्रभार नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से असाधारण परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए।

वैयक्तिक वेतन तथा/या विशेष वेतन प्रदान करना।

77. असाधारण परिस्थितियों या अन्य वैयक्तिक तर्कों में, वित्त विभाग उस पर विस्तृत कारण अभिलिखित करते हुए किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों के किसी वर्ग को निम्नलिखित प्रदान कर सकता है :–

(क) वैयक्तिक वेतन;

(ख) विशेष वेतन; या

(ग) वैयक्तिक वेतन तथा विशेष वेतन दोनों।

****

संजीव कौशल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।